राजीव कृष्णा, IPS
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

प्राथमिकता संख्या : 10
यातायात प्रबन्धन

डीजी परिपत्र संख्याः 42/25
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
सिग्नेचर बिल्डिंग,
शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ
फोन नं0 0522–2724003/सीयूजी नं0 9454400101
ई–मेल : police.up@nic.in
वेबसाईट : https://uppolice.gov.in
दिनांक : नवम्बर 6 ,2025

विषय : प्रदेश में कानून–व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण की 10 मुख्य प्राथमिकताओं मे **यातायात व्यवस्था** पर समग्र रूप से कार्यवाही करने के उद्देश्य से शीर्ष दुर्घटना–संवेदनशील जिलों में सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिये **Zero Fatality District (ZFD)** कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन।

—

इस कार्यालय के पत्र संख्याः डीजी–आठ–94(एल0ओ0 निर्देश)/2025 /875 दिनांकः 16.06.2025 के माध्यम से प्रदेश में कानून–व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण की 10 प्रमुख प्राथमिकतायें निर्धारित की गयी है, जिसमें सुगम एवं सुरक्षित **यातायात व्यवस्था** एक शीर्ष प्राथमिकता है। प्रदेश के कमिश्नरेट/जनपदों में यातायात व्यवस्था को सुगम एवं बेहतर बनाये जाने तथा सडक दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि में कमी लाये जाने के लिये हमें कृत संकल्पित होकर प्रभावी कार्यवाही करना आवश्यक है।

यातायात प्रबन्धन एवं सड़क सुरक्षा पुलिस की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सुगम, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित यातायात संचालन से जनमानस में पुलिस की सकारात्मक छवि निर्मित होती है। प्रतिवर्ष प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर की संख्या अन्य अप्राकृतिक मानव मृत्यु (हत्या, आत्महत्या व अन्य अस्वाभाविक मृत्यु) से अधिक है।

प्रदेश में घटित होने वाली सड़क दुर्घटनाओं एवं दुर्घटना में मृतकों की संख्या में कमी लाये जाने हेतु यातायात निदेशालय, उ0प्र द्वारा नियमित रूप से सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा की जा रही है। वर्ष 2022 के सापेक्ष वर्ष 2023 में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 6.68 प्रतिशत, मृतकों की संख्या में 4.68 प्रतिशत तथा घायलों की संख्या में 8.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2023 के सापेक्ष वर्ष 2024 में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 3.41 प्रतिशत, मृतकों की संख्या में 1.97 प्रतिशत तथा घायलों की संख्या में 11.47 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उपरोक्त ऑकड़े सवर्था हमारे उद्देश्यों के विपरीत है।

1. <u>Zero Fatality District (ZFD)</u> :- देश में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु को न्यून स्तर पर लाने हेतु भारत सरकार द्वारा सेवलाईफ फाउण्डेशन की भागीदारी से केन्द्र एवं राज्य सरकारों हेतु शीर्ष दुर्घटना–संवेदनशील जिलों में सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिये कार्य योजना Zero Fatality District (ZFD) कार्यक्रम की शुरुआत की गयी है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु की संख्या को कम करना है।

1.1- Zero Fatality District (ZFD) कार्यक्रम के अन्तर्गत इन्टीग्रेटेड रोड एक्सीडेन्ट डेटाबेस (iRAD) के माध्यम से वर्ष 2023–2024 में घटित सड़क दुर्घटनाओं के प्राप्त ऑकड़ों के व्यापक विश्लेषण के अधार पर भारत में तत्काल कार्यवाही हेतु 100 सबसे संवेदनशील जनपदों की पहचान की गयी है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 20 कमिश्नरेट/जनपद क्रमशः 1.लखनऊ 2.कानपुर नगर 3.गौतमबुद्धनगर 4.आगरा 5.प्रयागराज 6. बुलन्दशहर 7.उन्नाव 8.हरदोई 9.अलीगढ 10.मथुरा 11.बरेली 12.फतेहपुर 13.सीतापुर 14.गोरखपुर 15. बाराबंकी 16.कुशीनगर 17.जौनपुर 18.बदायूँ 19.फिरोजाबाद एवं 20.आजमगढ चिन्हित किये गये हैं।

1.2- Zero Fatality District (ZFD) कार्यक्रम एक महत्वाकॉक्षी परियोजना है, जो सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये एक व्यापक और व्यवस्थित दृष्टिकोण पर कार्य कर रही है। इस योजना के विभिन्न Terms एवं Parameters तथा उनकी परिभाषा निम्नवत् हैं–

1.2.1- **Average Annual Fatalities (2023 & 2024)**- वर्ष 2023 एवं 2024 में घटित सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या के औसत का विवरण।

1.2.2- **Critical Police Stations** - जनपद के वह थाने जिनके क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं में अधिकतम जनहानि हुयी है, उन्हे क्रिटिकल पुलिस स्टेशन के रूप में चिन्हित किया गया है। जनपदवार विवरण **परिशिष्ट–1** पर उपलब्ध है।

1.2.3- **Critical corridors**- भू–स्थानिक विश्लेषण (Geospatial analysis) के आधार पर जनपद के जिन मार्गों पर दुर्घटनाओं में कुल जनहानि लगभग 50 प्रतिशत से अधिक है, उन्हें क्रिटिकल कारिडोर चिन्हित किया गया है। यह कारिडोर उच्च प्राथमिकता के मार्ग है जिन पर बढ़ती सड़क दुर्घटना मृत्यु के कारण सुरक्षा उपाय किये जाने आवश्यक है। जनपदवार विवरण **परिशिष्ट–2** पर उपलब्ध है।

1.2.4- **Critical Crash Locations** - क्रिटिकल कोरिडोर में अधिकतम 500 मीटर का वह भाग जहॉ सड़क दुर्घटनाओं में दो या दो से अधिक जनहानि हुई हैं उन्हे क्रिटिकल क्रैश लोकेशन के रुप में चिन्हित किया गया है। इसमें दुर्घटना पैटर्न में आमने–सामने, पीछे से टक्कर और साइड–इम्पैक्ट टक्करों के साथ–साथ पैदल यात्री और रात्रिकालीन दुर्घटनाएँ भी शामिल हैं, जो विविध जोखिम कारकों को उजागर करती हैं और अनुकूलित, स्थान–विशिष्ट सुरक्षा हस्तक्षेपों की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

1.2.5- **Critical Months** - वर्ष के वह माह जिनमें सड़क दुर्घटनाओं में अधिकतम जनहानि हुयी है, उन्हें क्रिटिकल माह के रूप मे चिन्हित किया गया है।

1.2.6- **Temporal Distribution** – सड़क दुर्घटनाओं का उनके घटित होने के समय (क्रिटिकल रिस्क पीरियड) के अनुसार विश्लेषण जिससे उनके पैटर्न एवं ट्रेंड को जाना जा सके। जनपदवार विवरण **परिशिष्ट–3** पर उपलब्ध है।

1.2.7- **Handover time** - दुर्घटना स्थल पर एम्बुलेन्स के पहुचने से पीड़ित को हॉस्पिटल या ट्रामा सेण्टर पहुँचाने तक की अवधि है। उक्त अवधि में दुर्घटना स्थल में प्रारम्भिक ऑन साइट ऑकलन, स्टेबलाइजेशन और भौतिक रुप से पीड़ित को एम्बुलेन्स से ट्रांसपोर्टेशन तथा हॉस्पिटल मेडिकल टीम को हस्तान्तरित करने तक का समय शामिल हैं।

1.2.8- **Hospitalization by 108 Ambulance** - 108 एम्बुलेन्स के माध्यम से सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुँचाए जाने का विवरण।

1.2.9- **Rank** - iRAD के माध्यम से वर्ष 2023–2024 में घटित सड़क दुर्घटनाओं के प्राप्त ऑकड़ों के आधार पर भारत में 100 अत्यधिक संवेदनशील जनपदों जिनमें उत्तर प्रदेश के 20 जनपद शामिल है, का वरिष्ठता क्रमांक दिया गया है।

1.2.10- **Critical Corridor Team (CC Team)** - क्रिटिकल कारिडोर पर नियुक्त किये जाने वाले पुलिस बल को क्रिटिकल कारिडोर टीम (सीसी टीम) कहा जायेगा।

❖ **Zero Fatality Districts Program** के अन्तर्गत प्रदेश के चिन्हित 20 जनपदों का विवरण निम्नवत् है :–

Sr no	Name of district	Average Annual Fatalities (2023 & 2024)	Critical corridors	Critical Crash Locations	Critical Months			Critical Police Stations	No. of locations where Ambulance Handover time > 60 mins	Percentaze of total accident Hospitalization By 108 Ambulance	Rank
1	Kanpur Nagar	652	5	264	March	May	December	16	4	22.9	**9**
2	Bulandshahar	487	6	197	March	November	February	12	4	13.1	**10**
3	Prayagraj	216	2	71	March	February	June	17	1	19.5	**12**
4	Agra	528	5	210	March	February	November	14	10	19.1	**13**
5	Unnao	414	4	137	November	July	March	10	3	39	**17**
6	Hardoi	659	5	275	November	December	April	12	0	36.7	**24**
7	Aligarh	380	4	157	March	February	May	12	8	20.8	**28**
8	Mathura	620	3	249	November	February	April	9	9	10	**29**
9	Lucknow	197	2	80	February	March	January	11	0	20.7	**42**
10	Bareilly	435	5	180	June	May	April	13	12	16.2	**43**
11	Fatehpur	297	5	109	February	January	March	10	8	37.8	**47**
12	Sitapur	518	5	198	January	March	February	10	9	51.2	**49**
13	Gorakhpur	572	6	227	November	May	June	14	22	32.5	**53**
14	Barabanki	411	6	163	March	November	October	10	0	56.9	**68**

Sr no	Name of district	Average Annual Fatalities (2023 & 2024)	Critical corridors	Critical Crash Locations	Critical Months			Critical Police Stations	No. of locations where Ambulance Handover time > 60 mins	Percentaze of total accident Hospitalization By 108 Ambulance	Rank
15	Kushinagar	262	3	82	February	April	June	8	5	38.3	72
16	Noida	314	2	152	January	July	March	9	1	8.2	86
17	Jaunpur	292	7	102	May	June	April	15	6	31.6	88
18	Budaun	340	4	111	October	November	April	11	1	50.3	93
19	Firozabad	303	3	109	March	May	November	8	12	26.6	97
20	Azamgarh	401	7	160	November	December	February	12	3	28.3	99
Total		8298	89	3233	-	-	-	233	118	-	-

2. प्रत्येक क्रिटिकल पुलिस थाने में क्रिटिकल क्रैश लोकेशन पर चेकिंग हेतु आवश्यक उपकरणों का मानक निम्नवत् है–

स्पीड लेजरगन	ब्रेथ एनालाइजर	डेसीबल मीटर	बॉडीवार्न कैमरा
1	4	4	4

3. **मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन द्वारा Zero Fatality District (ZFD) कार्यक्रम की सफलता हेतु निम्न कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है–**

3.1- चिन्हित जनपदों में जिला सड़क सुरक्षा समितियों को सक्रिय करना तथा जिला कार्य योजनाओं को औपचारिक रूप से अपनाना।

3.2- कार्य योजनाओं में उल्लिखित अनुशंसित हस्तक्षेपों को विभागवार कार्यान्वयन।

3.3- राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के माध्यम से प्रगति की नियमित निगरानी और समीक्षा।

3.4- कॉरिडोर–विशिष्ट हस्तक्षेपों के लिए एनएचएआई और अन्य राजमार्ग एजेंसियों के साथ समन्वय।

4. **दुर्घटना के प्रमुख कारण** :– Zero Fatality District (ZFD) कार्यक्रम के अन्तर्गत MoRTH के निर्देशन में सेवलाइफ फाउण्डेशन द्वारा किये गये अध्ययन एवं विश्लेषण में उल्लिखित/अन्य कारक निम्नवत् है–

4.1- दुर्घटना के मुख्य कारण ओवर स्पीडिंग, ड्रंकन ड्राईविंग, रॉग साइड ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग अनुचित ओवर टेकिंग, पदयात्री सुविधाओं का अभाव एवं यातायात नियमो का उल्लंघन आदि हैं। ओवर स्पीडिंग/रैश ड्राइविंग से 50 प्रतिशत से ज्यादा दुर्घटना मृत्यु हो रही है।

4.2- अवयस्क द्वारा वाहन चलाना।

4.3- उल्लेखनीय है कि शीत ऋतु का आरम्भ हो चुका है। शीत ऋतु के दौरान कोहरे में दृश्यता कम हो जाती है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं के घटित होने की सम्भावना बढ़ जाती है। कम दृश्यता की स्थिति में तेज गति से वाहन चलाना और भी घातक हो जाता है।

4.4- मार्ग के दोनों तरफ अनाधिकृत कटों का होना।

4.5- डिवाईडर पर अनाधिकृत कट का होना।

4.6- पैदल यात्रियों द्वारा लापरवाहीपूर्वक सड़क पार करना।

4.7- सवारी वाहनों में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियों को बैठाना।

4.8- वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थल पर न खड़ा करके अनाधिकृत रूप से वाहनों को पार्क किया जाना।

4.9- मार्ग में डिवाईडर एवं रोड के दोनों तरफ रेलिंग/क्रैश बैरियर का न होना।

4.10- प्रकाश की समुचित व्यवस्था न होना।

4.11- चेतावनी संकेतों/रोड मार्किंग की कमी।

4.12- आबादी क्षेत्र में सर्विस रोड का न होना।

4.13- मुख्य मार्गो से जुड़ने वाले सम्पर्क मार्गो पर बिना किसी अवरोध के सीधा मुख्य मार्गो से जुड़ा होना।

5. <u>सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु कार्यवाही</u> :– Zero Fatality District (ZFD) कार्यक्रम के अन्तर्गत MoRTH के निर्देशन में सेवलाइफ फाउण्डेशन द्वारा किये गये अध्ययन के आधार पर सुझावो को निम्न तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है। सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि को कम किये जाने हेतु कमिश्नरेट/जनपदों में पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक, यातायात नोडल अधिकारी होगें–

5.1 **इंजीनियरिंग हस्तक्षेप**– जनपदीय नोडल अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, यूपीडा व अन्य सड़क निर्माण एजेन्सियॉ तथा नगर विकास इत्यादि विभागों से समन्वय कर प्रत्येक Critical Corridor पर आवश्यकतानुसार निम्नांकित कार्यवाही कराई जाए–

5.1.1- क्रिटिकल कारिडोर की रोड मार्किंग

5.1.2- रोड रिपेयरिंग (Road Repairing)

5.1.3- अनाधिकृत कट बन्द कराना

5.1.4- फुटपाथ का निर्माण

5.1.5- स्पीड ब्रेकर

5.1.6- रोड की बनावट में सुधार

5.1.7- फ्लाई ओवर/अण्डरपास

5.1.8- यू-टर्न (U-turn)

5.1.9- अन्य मार्ग सम्बन्धी निर्माण एवं सुधार कार्य

5.1.10- वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था

5.1.11- रम्बल स्ट्रिप्स बनवाना

5.1.12- प्रचार/चेतावनी बोर्ड लगवाना

5.1.13- स्ट्रीट लाइट लगवाना

5.1.14- सीसीटीवी कैमरे लगवाना

5.1.15- साइनेजेज लगवाना

5.1.16- क्रैश बैरियर/रेलिंग लगवाना

5.1.17- इंटरसेक्टिंग मार्ग पर स्पीड ब्रेकर सफेद पट्टी सहित इस प्रकार से व्यवस्थापित किये जाए कि वो मुख्य मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को ठीक प्रकार से दृष्टव्य हों।

5.2 ट्रामा केयर एवं इमरजेन्सी रिस्पान्स

5.2.1- मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 134ए के प्रावधानों के अनुसार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या जीएसआर 594ई दिनांक 29 सितंबर, 2020 के तहत गुड समेरिटन के लिए अधिसूचित किए गए नियम के अन्तर्गत क्रिटिकल कारिडोर में पड़ने वाले प्रत्येक थाने के बाहर 3X5 साइज का बोर्ड **संलग्न परिशिष्ट 4** के अनुरूप लगा कर **गुड सेमिरिटन** (वह नेक इंसान जिसने मोटर वाहन से जुड़ी घातक दुर्घटना के पीड़ित को तत्काल सहायता प्रदान करके तथा दुर्घटना के स्वर्णिम समय के भीतर अस्पताल/ट्रॉमा केयर सेंटर में पहुंचकर चिकित्सा उपचार प्रदान करके उसकी जान बचाई हो) को दिये जा रहे अनुदान रू0 25,000/- का प्रचार-प्रसार कराना। (अनुदान हेतु धनराशि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परिवहन आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी)

5.2.2- प्रत्येक Critical police station पर सीसी टीम के प्रत्येक सदस्य को फर्स्ट एड की iGOT अथवा जिला स्तर पर चिकित्सक के माध्यम से उचित प्रशिक्षण प्रदान कराना।

5.3 संसाधनों की उपलब्धता

5.3.1- बिन्दु संख्या 2 में प्रत्येक सीसी टीम हेतु उल्लिखित मानक के अनुसार यातायात उपकरणों की समीक्षा जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी द्वारा की जायेगी। यदि पर्याप्त संख्या में उपकरण उपलब्ध है तो उनका पुनर्वितरण सुनिश्चित करेंगें तथा

जिन उपकरणों की आवश्यकता होगी उनका प्रस्ताव यातायात निदेशालय को उपलब्ध करायेंगें।

5.3.2-प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/थाना प्रभारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह प्रत्येक सीसी टीम की रवानगी से पूर्व उनके पास बिन्दु संख्या 2 में उल्लिखित प्रत्येक सीसी टीम हेतु मानक के अनुसार यातायात उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगें।

5.3.3-रात्रि के समय विशेषतयः शीत ऋतु में कोहरे के कारण दृश्यता में कमी आती है, ऐसे में प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/थाना प्रभारी द्वारा सीसी टीम के सभी कर्मियों के पास रिफ्लेक्टिव जैकेट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।

5.4 प्रवर्तन की कार्यवाही

प्रवर्तन की कार्यवाही का सम्पूर्ण दायित्व सीसी टीम का है :—

5.4.1- **ओवर स्पीडिंग**—क्रिटिकल थाने क्षेत्र में विशेषतयः क्रिटिकल कारिडोर पर स्पीड लेजर गन का उपयोग कर विभिन्न मार्गो पर निर्धारित गति सीमा यथा एक्सप्रेस—वे पर 120 किमी0/घं0, नगरपालिका की सीमा से बाहर 100किमी0/घं0, नगरपालिका की सीमा के अन्दर 60 किमी0/घं0 अथवा स्थानीय स्तर से निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध एम0वी0 एक्ट—1988 की धारा 183(1) के अन्तर्गत प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही की जाए। (जुर्माना—हल्के मोटरयान की दशा में रू0—2000 एवं मध्यम/भारी यात्री/माल यान की दशा में रू0 4000)

5.4.2- **ड्रंक एण्ड ड्राइव**—ब्रेथ एनालाइजर का उपयोग कर ड्रंकन ड्राइविंग के विरूद्ध एम0वी0 एक्ट—1988 की धारा 185 के अन्तर्गत प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही की जाए। (जुर्माना—रू0 10000)

5.4.3- **रॉग साइड ड्राइविंग**—वाहन चालक मार्गों पर थोड़ी दूर पर स्थित यू—टर्न लेने के बजाय गलत दिशा में काफी दूर तक तेज गति से वाहन चलाते है। ऐसे स्थानों का चिन्हीकरण कर उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध एम0वी0 एक्ट—1988 की धारा 179(1) के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जाए। (जुर्माना—रू0 2000)

5.4.4- **सीट बेल्ट**— बिना सीट बेल्ट के चार पहिया वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध एम0वी0 एक्ट—1988 की धारा 194ख(1) के अन्तर्गत प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही की जाए। (जुर्माना—रू0 1000)

5.4.5- **हेलमेट**— बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चलाने वाले चालकों के विरूद्ध एम0वी0 एक्ट—1988 की धारा 194(घ) के अन्तर्गत प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही की जाए। (जुर्माना—रू0 1,000)

5.4.6- **दो पहिया वाहन पर तीन सवारी**— दो पहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाकर चलने वाले वाहन चालको के विरूद्ध एम0वी0 एक्ट—1988 की धारा 194(ख) के अन्तर्गत प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही की जाए। (जुर्माना—रू0 1,000)

5.4.7- **मालवाहक वाहन पर सवारी बैठाना**– मालवाहक वाहन पर सवारी बैठाकर चलने वाले वाहन चालको के विरूद्ध एम0वी0 एक्ट–1988 की धारा 192(क) के अन्तर्गत प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही की जाए। (जुर्माना–रू0 10,000)

5.4.8- **क्षमता से अधिक सवारी बैठाना**– क्षमता से अधिक सवारी बैठाने वाले वाहन चालको के विरूद्ध एम0वी0 एक्ट–1988 की धारा 194(क) के अन्तर्गत प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही की जाए। (जुर्माना–प्रति सवारी रू0 200)

5.4.9- **नो पार्किंग/अवैध पार्किंग**– अनाधिकृत रूप से ढाबो एवं होटलों के सामने वाहन खड़ा करने वाले वाहनों के विरूद्ध एम0वी0 एक्ट–1988 की धारा 177 के अन्तर्गत प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही की जाए। (जुर्माना–प्रथम बार रू0 500, अनुवर्ती रू0 1500)

5.4.10- **वाहन चलाते समय संचार उपकरणों (हैण्ड हेल्ड डिवाइस) का उपयोग करना**– वाहन चलाते समय संचार उपकरणों यथा मोबाईल फोन या अन्य हैण्ड हेल्ड डिवाइस का उपयोग करने वाले वाहन चालको के विरूद्ध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के नियम 21 के साथ पठित धारा 184(ग) के अन्तर्गत प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही की जाए। (जुर्माना–प्रथम बार रू0 1,000, अनुवर्ती रू0 10,000)

5.4.11- **ड्राइविंग लाइसेंस के निलम्बन/निरस्तीकरण की प्रक्रिया** :– मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा–21 में वर्णित कतिपय मामलों में डी0एल0 के निलम्बन या रद्करण को वर्णित किया गया है।

5.4.11.1- मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा–21 के अन्तर्गत वाहन चालक यदि मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा–184 के अधीन किसी अपराध के लिए पहले दोषसिद्ध किया जा चुका है या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा वाहन चालक के विरूद्ध खतरनाक रूप से वाहन चलाने के कारण, जैसा की धारा–184 में निर्दिष्ट है, एक या अधिक व्यक्तियों की मृत्यु या गम्भीर दुर्घटना कारित करने के कारण कोई मामला पंजीकृत होता है, तो मामला पंजीकृत होने की तिथि से 06 मास की अवधि के लिए डी0एल0 निलम्बन की व्यवस्था की गयी है।

5.4.11.2- मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा–22 के अन्तर्गत उपरोक्त पंजीकृत अपराध को एक से अधिक बार करने की दशा (रिपीट अफेन्स) में डी0एल0 के निस्तीकरण की कार्यवाही की व्यवस्था की गयी है।

5.4.12- **रजिस्ट्रेशन के निलम्बन की प्रक्रिया** :– मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा–53 में वर्णित कतिपय मामलों में रजिस्ट्रीकरण के निलम्बन को वर्णित किया गया है। उक्त के अन्तर्गत यदि रजिस्ट्रीकरण प्रधिकारी या अन्य सक्षम प्रधिकारी को अपने अधिकारिता के अन्दर आने वाले वाहन के सम्बन्ध में विश्वास करने का कारण है–

5.4.12.1- वाहन का उपयोग सार्वजनिक स्थान पर किये जाने से जनता के लिए खतरा उत्पन्न करेगा।

5.4.12.2- अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों/अपेक्षाओं की पूर्ति नही कर रहा है।

5.4.12.3- परमिट की शर्तों का उल्लघंन कर संचालित किया जा रहा है।

5.4.12.4- उपरोक्त के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा कारणों को लेखबद्ध करते हुए निलम्बन की प्रकिया करते हुए कम से कम 01 माह की लगातार अवधि के लिए निलम्बित किया जा सकता है।

5.4.14-<u>रजिस्ट्रेशन के निरस्तीकरण की प्रक्रिया</u> :– मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा–54 में वर्णित कतिपय मामलों में रजिस्ट्रीकरण के निरस्तीकरण को वर्णित किया गया है। यदि किसी वाहन का रजिस्ट्रीकरण का निलम्बन बिना किसी अवरोध के कम से कम 06 माह की अवधि तक जारी रहा है, उस दशा में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी जिसकी अधिकारिता के भीतर वाहन का रजिस्ट्रीकरण निलम्बित किया गया था, यदि वह मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी है तो वह स्वयं उक्त वाहन का रजिस्ट्रीकरण निरस्त कर सकता है। यदि वह मूल रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी नही है तो वह रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र सम्बन्धित रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को प्रेषित कर उक्त वाहन का रजिस्ट्रीकरण निरस्त करायेगा।

5.4.15-<u>ई–चालान की प्रक्रिया</u> :–प्रस्तर 5.4.1 से 5.4.13 में उल्लिखित प्रवर्तन की कार्यवाही हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निम्नलिखित है :–

5.4.14.1- **ई–चालान एप/लॉगिन** : पुलिस अधिकारी मोबाइल या टैबलेट में जनपदीय एडमिन के माध्यम से प्राप्त लिंक से ई–चालान ऐप डाउनलोड करते है, तत्पश्चात ई–चालान ऐप खोलते हैं और जनपदीय एडमिन द्वारा प्रदत्त आधिकारिक लॉगिन आईडी/पासवर्ड से लॉगिन करते हैं।

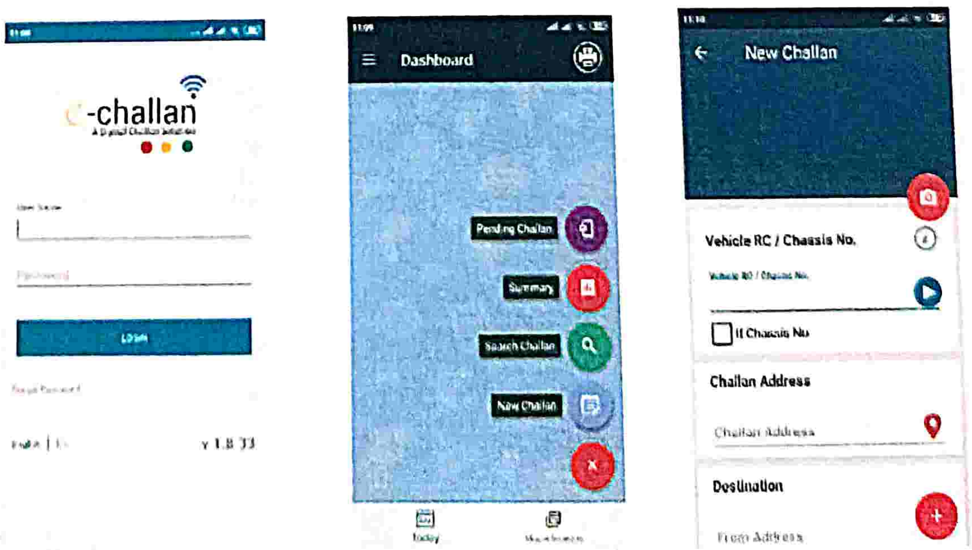

<u>ई–चालान एप के चित्र</u>

5.4.14.2- **फोटो/वीडियो सबूत अपलोड करें** : अधिकारी मौके पर हुए यातायात उल्लंघन की स्पष्ट फोटो खींच कर अपलोड करते है।

5.4.14.3- **वाहन की पहचान** : वाहन का नंबर अंकित कर सारथी पोर्टल से वाहन का विवरण प्राप्त करते है।

5.4.14.4- **चालान का लोकेशन** : चालान का लोकेशन ऑटोमैटिक जीपीएस से अपडेट होता है।

5.4.14.5- **चालक की पहचान** : चालक का डीएल नं0 अंकित कर सारथी पोर्टल से चालक का विवरण प्राप्त करते है।

5.4.14.6- **अपराध अंकित किया जाना** : ई0चालान एप में पूर्व से उपलब्ध अपराधों में से मौके पर किये गये यातायात उंल्लघन का चयन किया जाता है एवं आवश्यकता अनुसार अभियुक्ति व अन्य विवरण दर्ज कर चालान सबमिट किया जाता है।

5.4.14.7- **अपलोड की गयी जानकारी को कन्फर्म किया जाना** : अपराध उपरोक्त में अंकित किये गये सम्पूर्ण विवरण को चेक कर पुनः कन्फर्म किया जाता है।

5.4.14.8- **विद पेमेन्ट/विदाउट पेमेन्ट** : अपराध का प्रकार चुनने के बाद सबमिट करने पर विद पेमेन्ट एवं विदाउट पेमेन्ट का आप्शन आता है।

5.4.14.9- **जुर्माना जमा कर पाने की दशा में** : वाहन चालक द्वारा मौके पर ही जुर्माना जमा करने के लिए इच्छुक होने की दशा में विद पेमेन्ट का ऑप्शन चुनते है। जुर्माना POS मशीन के माध्यम से (डेबिट/क्रेडिट कार्ड, यूपीआई) अथवा नकद जमा कर लिया जाता है एवं चालक को रसीद प्रदान कर दी जाती है। जमा किये गये नकद राशि की प्रविष्टि रोजनामचाआम में करने के साथ–साथ यातायात पुलिस लाइन के कैश कार्यालय के माध्यम से आंकिक को प्राप्त कराते हुये राजकीय कोषागार में जमा करा दिया जाता है।

5.4.14.10-**चालान जनरेट करें** : मौके पर जुर्माना के भुगतान न कर पाने की दशा में चालानकर्ता अधिकारी विदआउट पेमेन्ट आप्शन का चयन कर डिजिटल चालान जनरेट कर देता है, जो एन0आई0सी0 के केंद्रीय सर्वर में सेव हो जाता है।

5.4.14.11-**चालक/वाहन स्वामी को नोटिफिकेशन** : चालान की सूचना तत्काल वाहन चालक/वाहन स्वामी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से पहुँच जाती है, इसमें अपराध, जुर्माना राशि और ऑनलाइन पेमेंट लिंक का विवरण प्रदर्शित होता है।

5.4.14.12-**जुर्माना वसूलना/भुगतान**: वाहन स्वामी ऑनलाइन (UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि) अथवा यातायात कार्यालय जाकर जुर्माने का भुगतान कर सकता है। उपरोक्त विधि से जुर्माना जमा न करने की दशा में चालान मा0 न्यायालय प्रेषित होने के पश्चात चालान का निस्तारण सक्षम न्यायालय में जुर्माने की धनराशि जमा कर किया जा सकता है।

5.4.14.13-**रिकॉर्ड अपडेट** : मौके पर या यातायात कार्यालय अथवा ऑन लाइन भुगतान होते ही चालान की स्थिति सिस्टम में अपडेट हो जाती है। मा0 न्यायालय में जुर्माना जमा करने की दशा में सम्बन्धित न्यायालय द्वारा पावती (रसीद) यातायात कार्यालय को प्राप्त होती है, जिसको पोर्टल पर अपलोड करने के उपरान्त चालान की स्थिति सिस्टम पर अपडेट हो जाती है, एवं भुगतान का डिजिटल प्रमाण सम्बन्धित को मिल जाता है।

6. <u>कर्तव्य/दायित्व</u> – :– Zero Fatality District (ZFD) कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि को कम करने हेतु क्रिटिकल कारिडोर टीम, प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष एवं राजपत्रित अधिकारियों के कर्तव्य एवं दायित्व निम्नवत् होगें–

6.1- <u>प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष</u> –Zero Fatality District (ZFD) कार्यक्रम के तहत थाना क्षेत्र में चिन्हित क्रिटिकल कारिडोर पर घटित होने वाली सडक दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु उत्तरदायी होगें।

6.1.1- दुर्घटनाओं में जनहानि, क्रिटिकल कारीडोर की लम्बाई तथा स्थानीय आवश्यकतानुसार प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष पर्यवेक्षण अधिकारियों से विचार–विमर्श कर प्रत्येक सीसी टीम हेतु निर्दिष्ट मार्ग की लम्बाई तय करेगें, जो अधिकतम 20 किमी0 तक हो सकेगी। इसे एरिया आफ रिस्पॉन्सबिल्टी (AOR) कहा जायेगा।

6.1.2- क्रिटिकल कारिडोर पर क्रिटिकल क्रैश लोकेशन का चिन्हीकरण करना।

6.1.3- क्रिटिकल कारिडोर पर प्रवर्तन कार्य हेतु 01 उपनिरीक्षक एवं 04 मुख्य आरक्षी/आरक्षी की टीम लगाई जायेगी, जिसे **क्रिटिकल कारिडोर टीम (सीसी टीम)** के नाम से जाना जायेगा। सामान्यतः 01 सीसी टीम के पास अधिकतम 20 किमी0 का मार्ग तथा लगभग 40 विवेचनायें रहेंगी। यदि किसी थाना क्षेत्र में 01 से अधिक टीम बनती है तो उसे सीसी टीम–1, सीसी टीम–2 क्रमशः नाम दिया जायेगा।

6.1.4- क्रिटिकल कारिडोर पर सीसी टीम को नियुक्त किया जाना तथा स्वयं भी समय–समय पर भ्रमणशील रहकर कार्यवाही कराना।

6.1.5- क्रिटिकल कारिडोर पर किये जाने वाले इंजीनियरिंग कार्यों की प्रगति की अद्यतन स्थिति प्रभारी यातायात, कमिश्नरेट/जनपद को प्रस्तर 5.1 के अनुसार भेजना। **(प्रारूप परिशिष्ट–5, समीक्षा प्रारूप–1)**

6.1.6- प्रत्येक सीसी टीम को प्रस्तर 5.3.2 एवं 5.3.3 के अनुरूप यातायात उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

6.1.7- थाना क्षेत्र विशेषतया क्रिटिकल कारिडोर के प्रत्येक भाग पर वाहनों की पार्किग हेतु होटल/ढाबों/ पेट्रोल पम्प/खाली सरकारी जमीन को चिन्हित करना।

6.1.8- यातायात नियमों का समाचार पत्रों सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार कर आम जनता तक पहुँचाया जॉए।

6.1.9- कट, कर्व, मोड़, जंक्शन आदि स्थानों पर साइनेजेज बोर्ड लगवाये जॉए।

6.1.10- अवैध कटों को बंद कराया जाए एवं सीमेंट बैरियर का व्यवस्थापन कराते हुये आवश्यकतानुसार आयरन बैरियर एवं फोल्डिंग बैरियर का उपयोग किया जॉए।

6.1.11- थाने के बाहर गुड सेमेरिटन का बोर्ड प्रस्तर 5.2.1 के अनुसार लगाया जॉए।

6.2- <u>क्रिटिकल कारिडोर टीम (सीसी टीम)</u>– सीसी टीम का मुख्य दायित्व एरिया आफ रिस्पॉन्सबिल्टी (AOR) में सभी स्थानों, मुख्यतः क्रिटिकल क्रैश प्वाइण्टस पर विशेषकर संवेदनशील समय पर वाहनों की चेकिंग करते हुये प्रवर्तन कार्य करना तथा थाने के दुर्घटना संबंधी अपराधों की विवेचना करना।

6.2.1- **प्रवर्तन**– क्रिटिकल कारिडोर में तैनात सीसी टीम के द्वारा दैनिक रूप से नियमानुसार प्रस्तर 5 के उपबन्ध 5.4 के बिन्दु संख्या 5.4.1 से 5.4.13 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप प्रवर्तन की कार्यवाही के साथ–साथ निम्न कार्यवाही सम्पादित की जायेगी–

6.2.1.1- रात्रि में भारी वाहनों की आकस्मिक चेकिंग की जाय कि वाहन चालक नींद के प्रभाव में तो नही है, यदि वह नींद के प्रभाव में दिखायी दें तो उन्हे कुछ देर विश्राम करने के उपरान्त सफर करने की सलाह दी जाए।

6.2.1.2- टी/वाई/चौराहों के इंटरसेक्टिंग मार्गो पर किसी भी दशा में अतिक्रमण न होने दिया जाए।

6.2.1.3- मार्गो के किनारे खड़े खराब वाहनों को तत्काल हटवाया जाए।

6.2.1.4- यातायात व्यवस्था में लगे समस्त पुलिस कर्मियों द्वारा आवश्यकतानुसार यातायात उपकरणों यथा बाडीवार्न कैमरा, सेफ्टी टार्च, पीए सिस्टम, इन्टरसेप्टर, कोन का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

6.2.1.5- कारिडोर पर स्थित ढाबा/होटल/रेस्टोरेन्ट/मैरिज हाल/पेट्रोल पम्प के सामने रोड पर वाहनों की पार्किंग से रोकना एवं वाहन इस प्रकार से खड़े किये जाय कि मुख्य मार्ग बाधित न हो।

6.2.2 **<u>सडक दुर्घटनाओं की विवेचना</u>**– थाना क्षेत्र/क्रिटिकल कारिडोर पर घटित होने वाली दुर्घटनाओं के अभियोगो की विवेचना कारिडोर पर नियुक्त सीसी टीम के उपनिरीक्षक को ही सुपुर्द की जायेगी। विवेचनात्मक कार्यवाही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्याः सी0जी0–डी0एल0–अ0–02032022–233805 में उल्लिखित नियम 150क के उपाबंध 13/eDAR **(परिशिष्ट–6 विवेचना प्रक्रिया एवं प्रारूप)** में निर्दिष्ट व्यवस्था के अनुरूप निम्न बिन्दुओ को समाहित करते हुये की जायेगी –

6.2.2.1 **<u>घटनास्थल से संबंधित कार्यवाही</u>**–

- शीघ्रता से विवेचना को ग्रहण करना (नकल चिक/नकल रपट/बयान वादी व गवाहान, एफ०आई०आर० लेखक व कायमी मुकदमा), वादी का **ई–साक्ष्य ऐप** पर आई०डी० जनरेट करना।
- निरीक्षण घटनास्थल (अक्षांश तथा देशान्तर का उल्लेख अवश्य किया जाए)।
- फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी, मिट्टी सादा/खूनालूदा का संग्रहण, वाहनों के अवशेष, टॉयर मार्क, पेन्ट मार्क आदि का **ई–साक्ष्य ऐप** पर प्रमाण इकट्ठा करना।

6.2.2.2 **<u>अभिलेखीय साक्ष्य</u>**–

- दुर्घटनाग्रस्त वाहन को कब्जे में लेकर तकनीकी रिपोर्ट प्रेषित करना।
- एफ0आई0आर0 यदि समुचित धाराओं में नही है तो दुरूस्तीकरण करना।
- eDAR के प्रारूप अनुसार सम्पूर्ण कार्यवाही करना। **(परिशिष्ट–6 विवेचना प्रक्रिया एवं प्रारूप)**
- iRAD वेबसाइट (https://irad.parivahan.gov.in) में सड़क दुर्घटना का पूर्ण विवरण समस्त प्रारूपों में भरना।

- अन्य साक्षियों के बयान अंकित करना (चश्मदीद गवाह/स्वतंत्र साक्षी/चिकित्सक/पंचायतनामा के गवाहान/घायलों अथवा मृतकों को ले जाने वाले व्यक्तियों/पोस्टमार्टम हेतु ले जाने वाले पुलिस कर्मियों के बयान)।

6.2.2.3 <u>दुर्घटना से संबंधित साक्ष्य/कार्यवाही</u> –

- दुर्घटना में वाहन स्वामी की भूमिका की जाँच करना।
- आरोपी चालकों के लाईसेंस निरस्तीकरण हेतु रिपोर्ट प्रेषित करना। (प्रस्तर 5 के उपबन्ध 5.4 के बिन्दु संख्या 5.4.11 के अन्तर्गत अंकित बिन्दु 5.4.11.1 एवं 5.4.11.2 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप)
- यदि वाहन का मॉडिफिकेशन निर्धारित मानकों एवं नियमों के विरूद्ध किया गया है, तो उत्तरदायी के विरूद्ध कार्यवाही करना।
- दुर्घटना से संबंधित वाहनों के प्रपत्र प्राप्त करना (आर0सी0/इंश्योरेंस/प्रदूषण/चालक का ड्राईविंग लाईसेंस/परमिट/फिटनेस इत्यादि)।
- वाहन पर पूर्व में हुए चालानों की जॉच कर पूर्व में कितने चालान हुए थे, उसका विवरण अंकित करना।
- आर0सी0/परमिट के निलंबन की रिपोर्ट प्रेषित करना। (प्रस्तर 5 के उपबन्ध 5.4 के बिन्दु संख्या 5.4.12 एवं 5.4.13 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप)
- वाहन की नंबर प्लेट एच0एस0आर0पी0 थी अथवा नहीं का उल्लेख सीडी में करना।

6.2.2.4 <u>तकनीकी साक्ष्यो का विश्लेषण</u> –

- रिमाण्ड के समय अभियुक्त चालक का ई–साक्ष्य ऐप पर आई0डी0 जनरेट करना।
- दुर्घटना के कारण की समीक्षा (त्रिमोड़, खराब सड़क, अवैध कट, मादक पदार्थ का सेवन, सीटबेल्ट, हेलमेट धारण न करना, रान्ग साईड ड्राईविंग, वाहन का बायें तरफ न चलना, चालक को नींद आना, ओवरलोडिंग, वाहन चालक का अव्यस्क होना, ओवरस्पीड इत्यादि) करना।
- घटनास्थल पर पूर्व में हुई दुर्घटनाओं की समीक्षा, घटनास्थल ब्लैक स्पॉट में चिन्हित था अथवा नहीं, यदि ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित था तो सुधारीकरण का कार्य न करने वाली उत्तरदायी संस्था/व्यक्ति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करना।

नोट : क्रिटिकल कारिडोर टीम (सीसी टीम) को सम्बन्धित उपकरणों के संचालन एवं दुर्घटना सम्बन्धित अभियोगो की दक्षतापूर्वक विवेचना संपादित किये जाने हेतु यातायात निदेशालय स्तर से विशेषज्ञो द्वारा हाईब्रिड मोड से 02 दिवसीय व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण का कार्यक्रम अलग से प्रेषित किया जायेगा।

6.3- <u>सहायक पुलिस आयुक्त/क्षेत्राधिकारी</u> – Zero Fatality District (ZFD) कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने सर्किल के चिन्हित क्रिटिकल कारिडोर पर घटित होने वाली सडक दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु निम्नवत् कार्यवाही करेंगें–

6.3.1- सर्किल के क्रिटिकल थानो विशेषतया क्रिटिकल कारिडोर पर नियुक्त पुलिस टीमों का पर्यवेक्षण करेंगें और समय–समय पर मौके पर ही उन्हें कर्तव्यों के बारे में ब्रीफ किया जायेगा। सर्किल के थानों में चिन्हित क्रिटिकल कारिडोर पर घटित होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के कारको की मासिक समीक्षा करेंगे।

6.3.2- सीसी टीम को उपकरणों के उपयोग, विवेचना एवं फर्स्ट–एड का प्रशिक्षण करायेंगें।

6.3.3- सर्किल के क्रिटिकल थानो विशेषतया क्रिटिकल कारिडोर पर घटित दुर्घटना से सम्बन्धित अभियोगों के विवेचको को दिशा–निर्देश देंगें तथा सूक्ष्मता से विवेचनात्मक कार्यवाही की मासिक समीक्षा करेंगें।

6.3.4- सर्किल के क्रिटिकल थाने में जनशक्ति की कमी की पूर्ति सुनिश्चित कराने का प्रयास करेंगे।

6.3.5- सर्किल के क्रिटिकल थानो विशेषतया क्रिटिकल कारिडोर पर (प्रत्येक टुकड़े के अनुसार) चलाये जा रहे यातायात एवं सड़क सुरक्षा सम्बन्धी अभियानों जैसे– अतिक्रमण/प्रवर्तन कार्यवाही/ निर्माण/सुधारात्मक कार्यवाहियों का पर्यवेक्षण करेंगे।

6.3.6- प्रत्येक थाना क्षेत्र के अन्तर्गत क्रिटिकल कारिडोर पर पड़ने वाले ढाबों/होटलों/प्रमुख शिक्षण संस्थानों/गेस्ट हाउस/बारात घर/मुख्य बाजार एवं पेट्रोल पम्प के मालिकों/संचालकों से माह में 01 बार बैठक कर सडक दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये के निमित्त सुझाव प्राप्त कर अपेक्षित कार्यवाही करायेगें।

6.3.7- क्रिटिकल कारिडोर को Geographical मैप पर दर्शाते हुये मैप तैयार करायेंगे।

6.3.8- क्रिटिकल कारिडोर के दोनो तरफ स्थित ब्लैक स्पॉट, लिंक मार्ग, सरकारी/प्राइवेट चिकित्सालय, 108 एम्बुलेंस/प्राइवेट एम्बुलेंस की उपलब्धता, शिक्षण संस्थान, गेस्ट हाउस, बारात घर, प्रमुख ढाबों, होटलों एवं पार्किंग स्थल को मैप पर दर्शायेंगे।

6.3.9- क्रिटिकल कारिडोर के भाग पर यदि क्रेन ऑपरेटिंग कम्पनी/सेवा प्रदाता है तो स्थिति का विवरण मैप पर प्रदर्शित करायेंगे।

6.3.10- क्रिटिकल कारिडोर के दोनो तरफ ट्रकों/बसों एवं अन्य छोटे–बड़े वाहनों की पार्किग हेतु जगह चिन्हित करना, पार्किंग स्थल निर्धारित कर रेफ्लेक्टिव बोर्ड तथा संसाधनो की व्यवस्था करायेंगे।

6.3.11- क्रिटिकल कारिडोर के दोनो तरफ अतिक्रमण के कारणों को चिन्हित करना (अनाधिकृत वाहन पार्किग/मार्केट एवं दुकाने, बस्तियाँ) तथा उपाय तैयार करना एवं माह में 02 बार अभियान चला कर आवश्यकतानुसार चालान/विधिक कार्यवाही करायेंगे।

6.3.12- क्रिटिकल कारिडोर पर नो–पार्किंग/चेतावनी/आदेशात्मक/सड़क सुरक्षा सम्बन्धी जागरूकता बोर्ड के अधिष्ठापन हेतु स्थानों को चिन्हित कर लगवायेंगे।

6.3.13- क्रिटिकल कारिडोर से जुड़ने वाले लिंक रोड के दोनो तरफ 100 मीटर तक स्पष्ट दृश्यता हेतु अनावश्यक पेड़/झाड़ियों एवं अनाधिकृत अतिक्रमण को चिन्हित करना/हटवायेंगे।

6.3.14- पेट्रोलिंग में लगे वाहनों को इस प्रकार व्यवस्थापित किया जाए कि वह मार्गों पर तेजी और लापरवाही से चल रहे वाहनों के विरूद्ध त्वरित/प्रभावी कार्यवाही करें, ताकि उनसे होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर शत–प्रतिशत अंकुश लगाया जा सके।

6.3.15- अपने सर्किल के थानों में सीसी टीम द्वारा की गयी प्रवर्तन की कार्यवाही की समीक्षा करेंगें।

6.4- <u>अपर पुलिस उपायुक्त/अपर पुलिस अधीक्षक</u> –Zero Fatality District (ZFD) कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि को कम किये जाने हेतु निम्नवत् कार्यवाही करेंगें–

6.4.1 -क्रिटिकल कारिडोर पर सडक सुरक्षा हेतु उत्तरदायी विभागों/एजेन्सियों यथा NHAI, PWD, नगर विकास, नगर निगम, नगर पालिका, के अधिकारियों के साथ बैठक कर सड़क दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत विचार–विमर्श कर प्रस्तर 5.1 के अनुरूप कार्यवाही करायेंगें

6.4.2 अपने अधीनस्थ थानों/क्रिटिकल कारिडोर पर घटित होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के कारको की मासिक समीक्षा करेगें।

6.4.3 अपने अधीनस्थ थानों/क्रिटिकल कारिडोर पर घटित दुर्घटना से सम्बन्धित अभियोगों की विवेचनात्मक कार्यवाही की सूक्ष्मता से मासिक समीक्षा करेंगें।

6.4.4 प्रवर्तन की कार्यवाही की समीक्षा।

6.4.5 स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से 108 एवं प्राइवेट एम्बुलेंस आदि की 24 घंटे की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

6.4.6 मासिक समीक्षा हेतु निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट–5 (समीक्षा प्रारूप : 1–5) से सम्बन्धित समस्त सूचनायें यातायात निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगें।

6.5- पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकः

Zero Fatality District (ZFD) कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि को कम किये जाने हेतु जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में क्रिटिकल कारिडोर से सम्बन्धित रोड इन्जीनियरिंग की कमी के सुधार हेतु सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर निम्न कार्यवाही करायेंगें—

6.5.1- सड़क निर्माण से सम्बन्धित विभागों से क्रिटिकल कारिडोर पर स्थित ढाबा/होटल/रेस्टोरन्ट/मैरिज हाल आदि की पार्किंग के सम्बन्ध में सुसंगत विधिक प्रावधानों (रोड साइड कन्ट्रोल एक्ट आदि) के अन्तर्गत कार्यवाही कराना।

6.5.2- क्रिटिकल कारिडोर पर सम्बन्धित सड़क निर्माण विभागों से अधिक से अधिक संख्या में ट्रक/बस ले—बाई (Lay Bye) का निर्माण कराया जाना।

6.5.3- कमिश्नरेट/जनपद में चिन्हित क्रिटिकल कारिडोर पर घटित होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के कारको की प्रत्येक माह आयोजित होने वाली अपराध गोष्ठी में मासिक समीक्षा करना।

6.5.4- थाना क्षेत्र में चिन्हित क्रिटिकल कारिडोर पर 03 माह में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि होने की स्थिति में आवश्यकतानुसार जनपद प्रभारी (पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक) द्वारा थानाध्यक्ष को प्रत्यावर्तित करने पर विचार किया जाए।

6.5.5- सम्बन्धित राजपत्रित अधिकारियों के गोपनीय वार्षिक मन्तव्य में भी सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि का विवरण अंकित जाए।

6.5.6- कमिश्नरेट/जनपद की समस्त सीसी टीम हेतु प्रस्तर 5.3. के अनुरूप यातायात उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

7. उल्लेखनीय है कि मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा—215(3) के अन्तर्गत शासनादेश संख्याः 61जी0आई0(क)/तीस—3—94—124एम/94, दिनांकः 28.01.1995 यथा संशोधित परिवहन अनुभाग—3, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्याः 96/2022/1346/तीस—3—2022 के क्रम में जनपद स्तर पर ''जिला सड़क सुरक्षा समिति'' का निम्नानुसार गठन किया गया है —

1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3	मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
4	संभागीय परिवहन अधिकारी	सदस्य
5	क्षेत्रीय कार्यालय, MoRTH के प्रतिनिधि	सदस्य

6	राजमार्गों एवं मुख्य जिला मार्गों के प्रशासक (सम्बन्धित लो0नि0वि0 के अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता को राजमार्गों एवं मुख्य जिला मार्गों के प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है।	सदस्य
7	सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) जिन जनपदों में सहायक संभागीय अधिकारी (प्रवर्तन) न हो, वहाँ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)	सदस्य सह सचिव
8	परियोजना निदेशक, एन0एच0ए0आई0	सदस्य
9	सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले सामाजिक संगठन/गैर सरकारी संस्थायें का/के प्रतिनिधि (01 या 01 से अधिक)	सदस्य
10	अधिशासी अधिकारी–नगर निगम/नगर निकाय/अधिसूचित प्राधिकरण	सदस्य
11	अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग	सदस्य
12	राज्य सरकार द्वारा स्टेकहोल्डर विभाग/विभागों के नामित सदस्य	सदस्य

उक्त समिति जनपद स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने, दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को विभिन्न स्रोतों से मिलने वाली सहायता उपलब्ध कराने की स्थिति की समय–समय पर समीक्षा करने एवं अपनी संस्तुतियाँ जिला प्रशासन एवं राज्य प्रशासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु उत्तरदायी है।

8. प्रदेश के सर्वाधिक सड़क दुर्घटना बाहुल्य 03 मार्ग क्रमशः Stretch-1 NH 34 (सिकन्दराबाद– बुलन्दशहर से गभाना टोल प्लाजा अलीगढ़), Stretch-2 NH 27 (अवध चौराहा–लखनऊ से जाजामऊ पुल–उन्नाव), Stretch-3 NH 34 (नौबस्ता से सजेती–कानपुर) को मुख्यालय स्तर से माडल रोड के रूप मे चिन्हित कर योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही की गयी, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में विगत वर्ष की अपेक्षा कमी परिलक्षित हुई है, विवरण निम्नवत् है :–

मॉडल रोड	माह अगस्त				माह सितम्बर			
	2024	2025	कमी/वृद्वि	प्रतिशत	2024	2025	कमी/वृद्वि	प्रतिशत
स्ट्रैच–1	15	10	–5	–33.33	27	5	–22	–81.48
स्ट्रैच–2	14	5	–9	–64.29	21	2	–19	–90.48
स्ट्रैच–3	13	8	–5	–38.46	6	6	0	0.00

8.1- उक्त तीनों चिन्हित मार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने हेतु निम्न कार्यवाही की गई :–

8.1.1- अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, उ0प्र0 द्वारा चिन्हित मार्गों का

जिलाधिकारी/अपर जिला जिलाधिकारी, एन0एच0ए0आई0, लोक निर्माण विभाग, नगर पालिका एवं पुलिस के अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण/गोष्ठी/वीडियो कांफ्रेंसिंग।

8.1.2- यातायात निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चिन्हित मार्गों के जनपदों को जनपद के भार पर उपलब्ध यातायात पुलिस/उपकरणों के अतिरिक्त यातायात पुलिस बल/उपकरणों का आवंटन।

8.1.3- चिन्हित मार्गों के जनपदों द्वारा जनपद के भार पर उपलब्ध एवं यातायात निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अतिरिक्त आवंटित पुलिस बल/उपकरणों का योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्थापन किया गया।

8.1.4- चिन्हित मार्गों पर राउण्ड द क्लाक (24 घण्टे) पुलिस बल की नियुक्ति।

8.1.5- चिन्हित मार्गों पर नियुक्त पुलिस बल द्वारा वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया तथा उल्लंघनकर्ताओ के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही की गयी।

8.1.6- इण्टरसेप्टर चार/दो पहिया एवं पैट्रौलिंग मोबाईल वाहनों द्वारा चिन्हित Stretch की निरन्तर निगरानी की गयी।

8.1.7- जनपद स्तर पर पुलिस बल के पर्यवेक्षण हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया।

8.1.8- स्थानीय थाना प्रभारी/क्षेत्राधिकारी द्वारा सत्त रूप से भ्रमणशील रहकर दिन/रात में व्यवस्थापित ड्यूटियों का पर्यवेक्षण किया गया।

8.1.9- रोड निर्माण एजेंसियों के माध्यम से रोड मार्किंग, साइनेजेज, मार्ग के दोनो तरफ रेलिंग बनवाई गई।

8.1.10- इण्टरसेक्टिंग मार्गों पर स्पीड ब्रेकर का निर्माण/मार्ग दृश्यमान किये जाने हेतु आस–पास लगे पेड़/झाड़ियों का हटवाया गया।

8.1.11- चिन्हित मार्गों पर स्थित ढाबों/होटल के सामने पार्किंग पर पूर्णतया रोक लगाई गयी।

8.2- उपरोक्त पायलेट प्रोजेक्ट के 02 माह में अत्यन्त सार्थक एवं सकारात्मक परिणाम परिलक्षित हुये है। इससे प्रेरणा लेकर यदि प्रदेश के अन्य 89 क्रिटिकल कारिडोर में एसओपी में दर्शायी गयी समस्त कार्यवाही की जाती है तो मुझे आशा ही नही पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली जनहानि में निश्चित कमी आयेगी। **यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त कार्यवाही को जनपद में गम्भीरतापूर्वक लागू करने के लिये जनपदीय प्रभारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।**

9. अतः आपसे अपेक्षा है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराते हुए **यातायात व्यवस्था** को सुगम एवं बेहतर बनाये जाने तथा सडक दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि में कमी लाये जाने हेतु प्रतिबद्धता के साथ कार्यवाही करायेंगे। उक्त समस्त कार्यवाही MoRTH के Zero Fatality District (ZFD) के चिन्हित 20 जनपदों में तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है। भविष्य में सड़क दुर्घटनाओं के वरिष्टता क्रम में परिवर्तन के दृष्टिगत शेष कमिश्नरेट/जनपद के प्रभारी अधिकारी स्वविवेकानुसार इसे अपने–अपने कमिश्नरेट/जनपद में लागू करेगें तो यह श्रेयस्कर होगा।

संलग्नकः परिशिष्ट–1 (क्रिटिकल पुलिस स्टेशन)
परिशिष्ट–2 (क्रिटिकल कारिडोर)
परिशिष्ट–3 (टेम्पोरल डिस्ट्रिब्यूशन)
परिशिष्ट–4 (गुड सेमिरिटन बोर्ड का प्रारूप)
परिशिष्ट–5 (समीक्षा प्रारूप : 1 से 5)
परिशिष्ट–6 (विवेचना प्रक्रिया एवं प्रारूप)

भवदीय

6/x1

(राजीव कृष्णा)

1. **समस्त पुलिस आयुक्त**
   उत्तर प्रदेश।

2. **समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,**
   उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि :–

1. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

Annexure-1

Critical Police Stations

Kanpur Nagar -

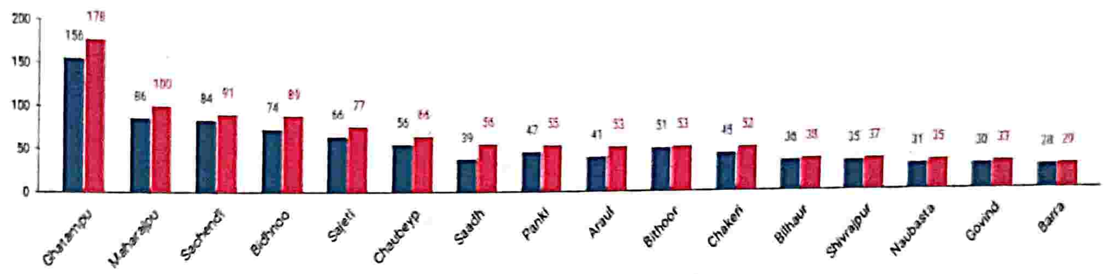

2- Bulandshahar -

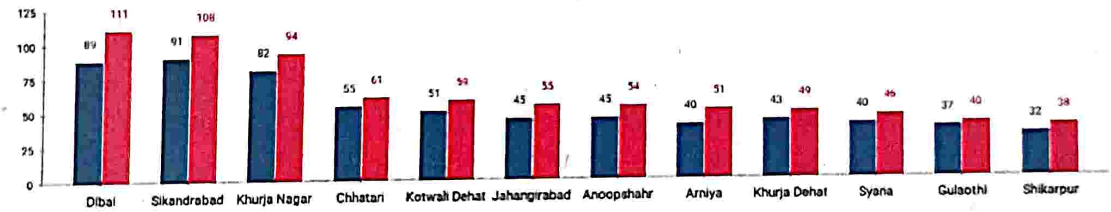

3- Prayagraj -

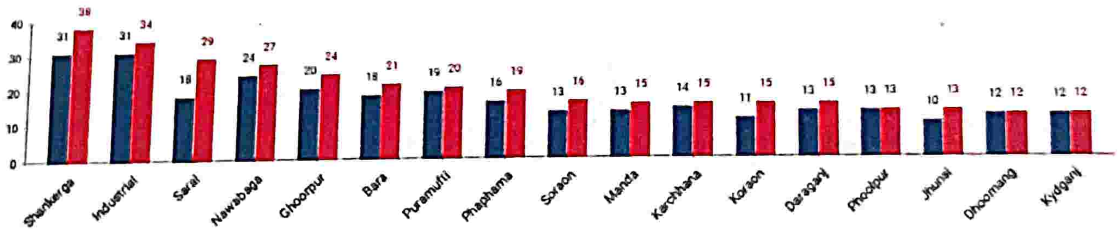

4- Agra -

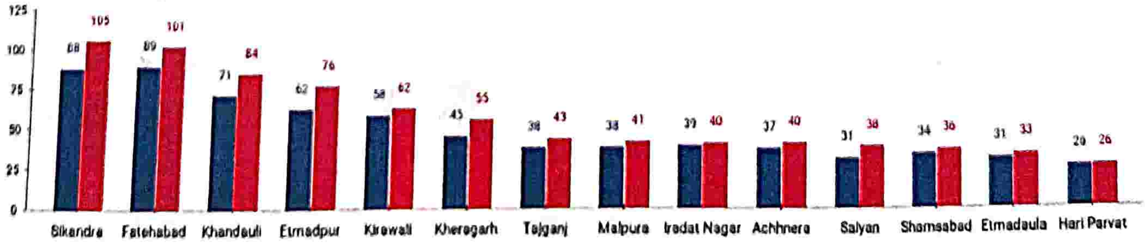

5- Unnao -

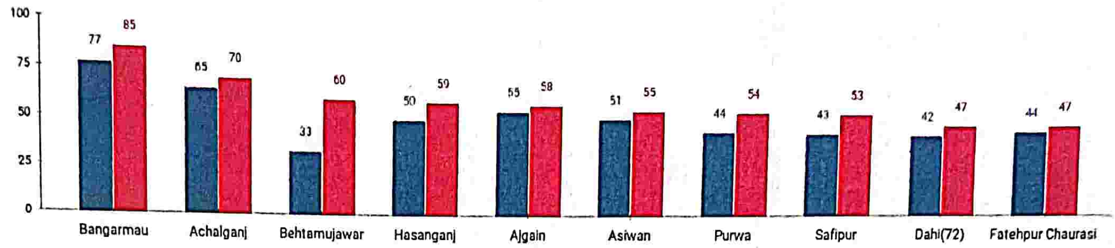

6- Hardoi -

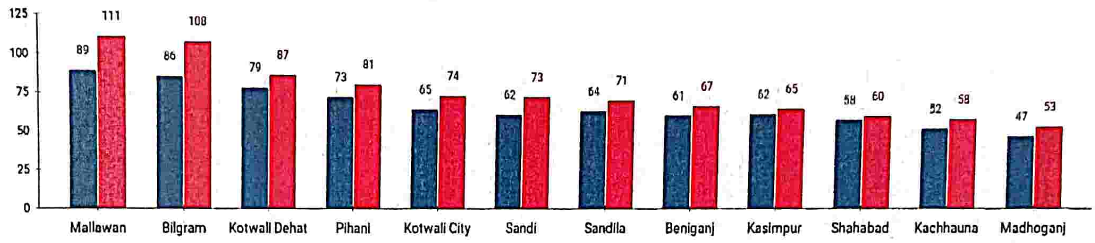

7- Aligarh -

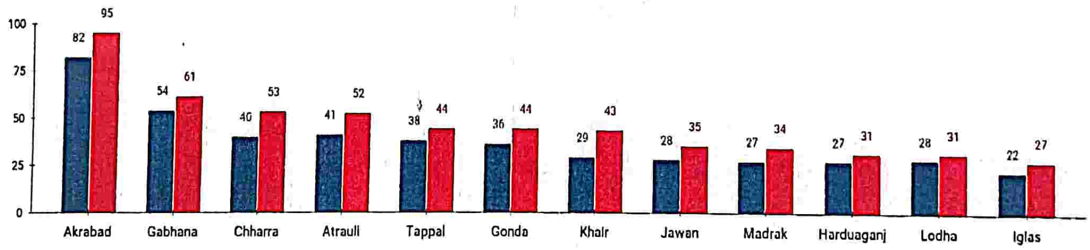

8- Mathura -

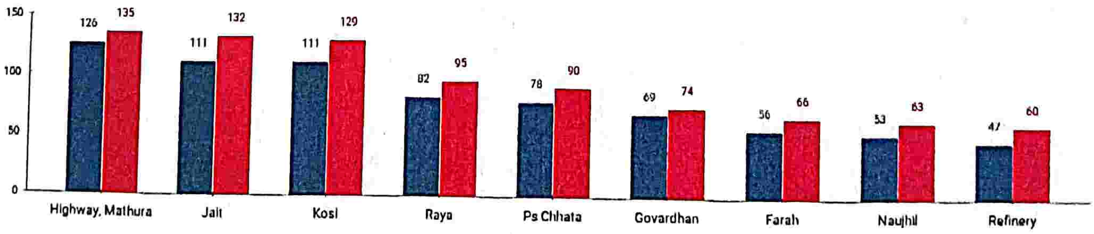

9- Lucknow -

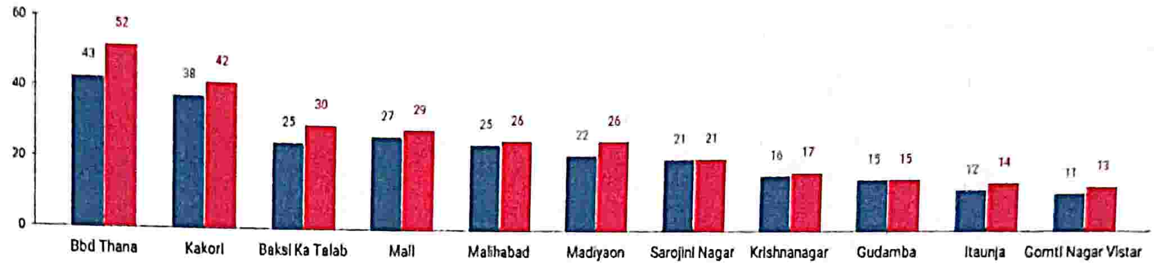

10- Bareilly -

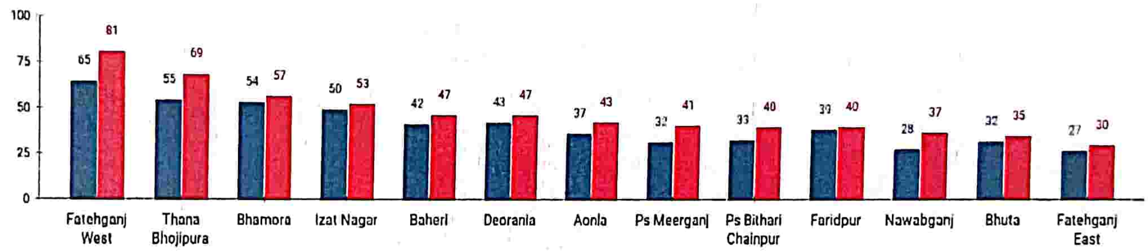

11- Fatehpur -

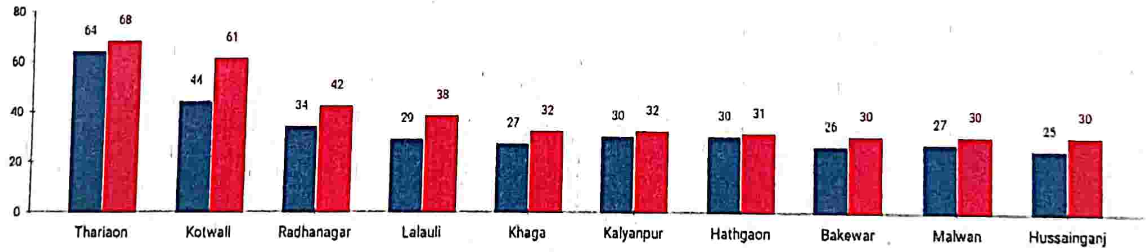

12- Sitapur -

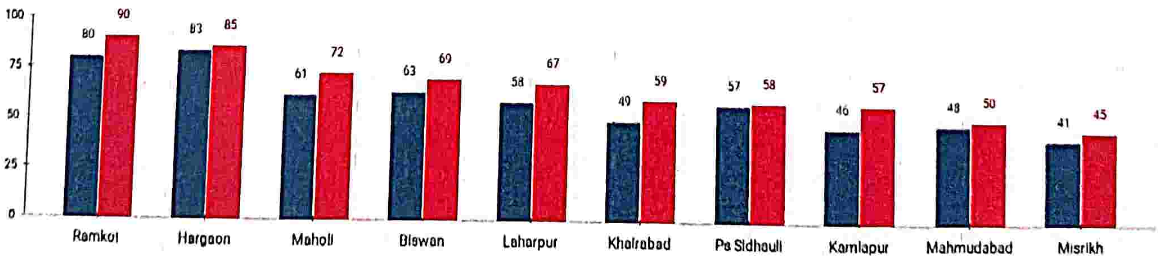

13- Gorakhpur -

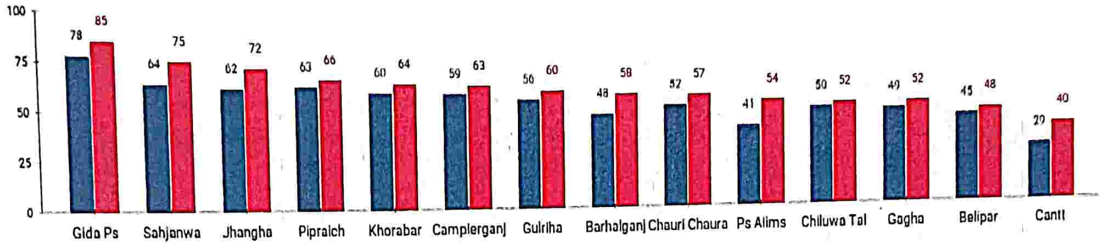

14- Barabanki -

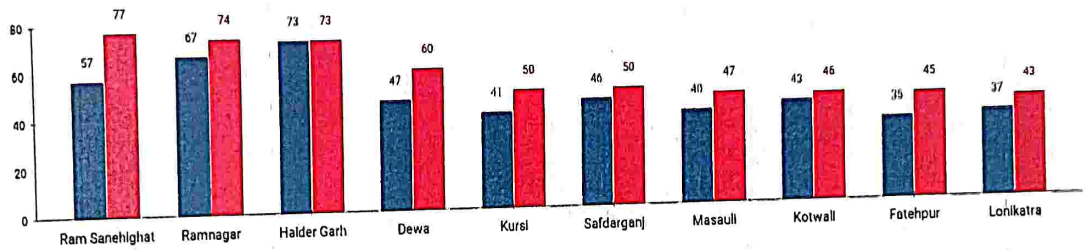

15- Kushinagar -

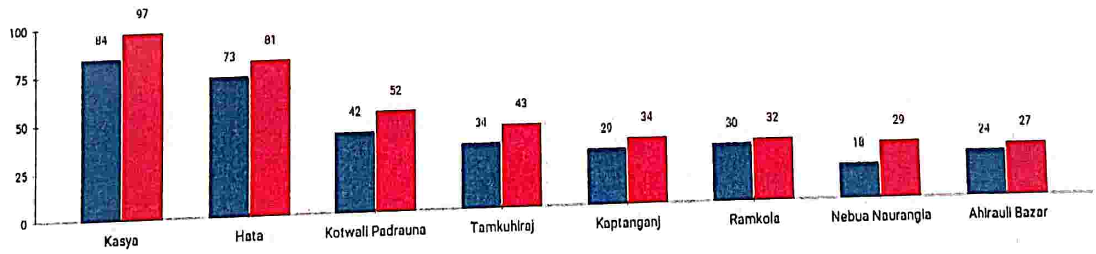

16- Gautambudhnagar -

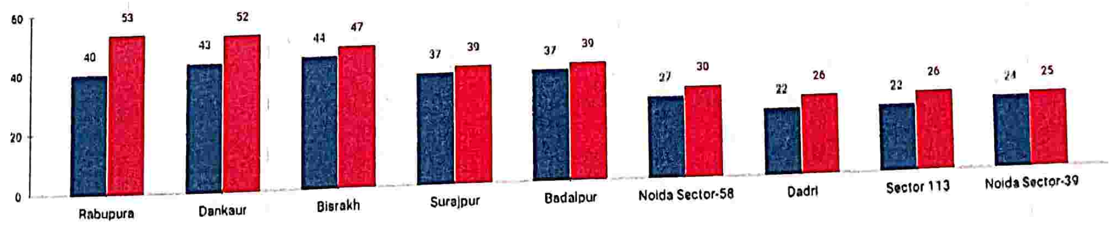

17- Jaunpur -

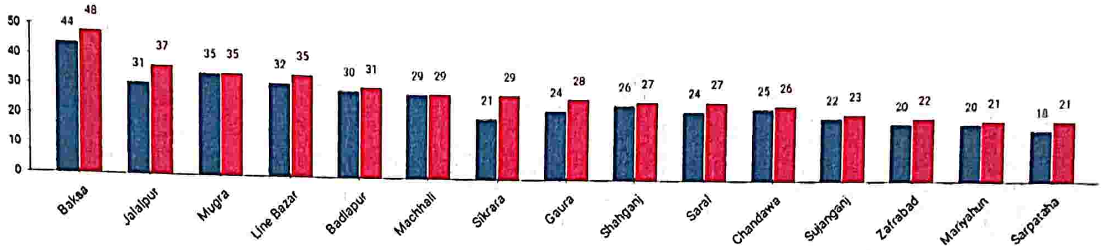

18- Budaun -

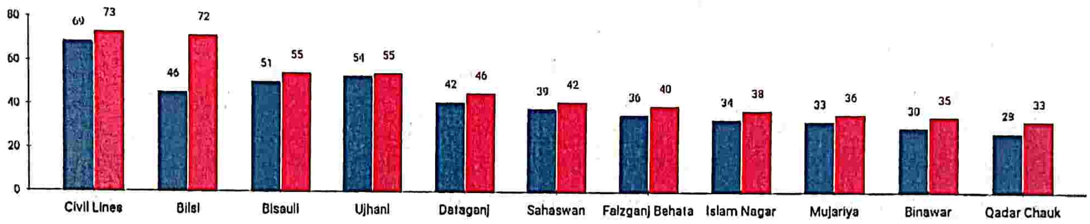

19- Firozabad -

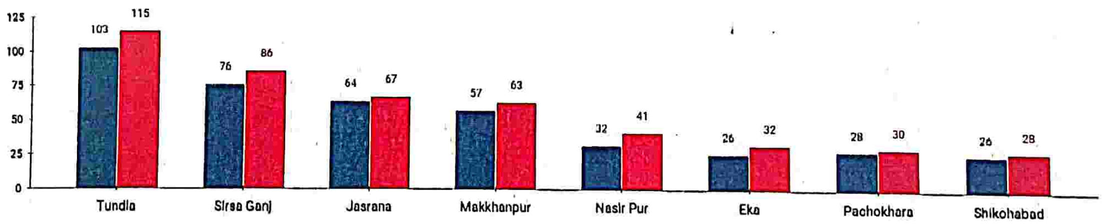

20- Azamgarh -

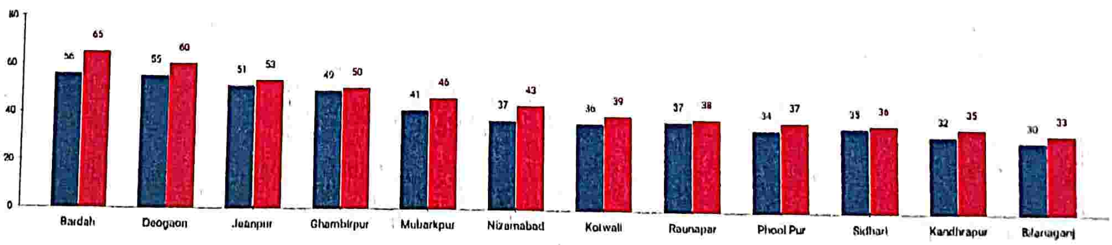

Annexure-2

Critical Corridors in the District

1- Kanpur Nagar -

Rank	Road No.	Agency	Length (km)	Starting Point	Ending Point	Fatalities	Fatal Crashes	Fatalities per km
1	NH-19	NHAI	57	26.4171, 80.1351	26.1995, 80.5367	231	201	4.07
2	SH58	PWD	8	26.4175, 80.3283	26.4701, 80.3728	28	25	3.5
3	NH-34	NHAI	130	25.9578, 80.1603	26.9632, 79.9941	386	333	2.97
4	SH46	PWD	35	26.1643, 79.9887	26.1016, 80.3172	57	54	1.64
5	SH68	PWD	15	26.603, 80.0581	26.6209, 80.1884	11	9	0.75

2- Bulandshahar -

Rank	Road No.	Agency	Length (km)	Starting Point	Ending Point	Fatalities	Fatal Crashes	Fatalities per km
1	NH-334C	NHAI	26	28.49, 77.6401	28.3744, 77.8326	76	63	2.97
2	NH-509	NHAI	40	28.0597, 78.1342	28.1902, 78.3969	84	70	2.1
3	NH-34	NHAI	61	28.5868, 77.7768	28.0862, 77.9359	124	104	2.03
4	SH18	PWD	44	28.3918, 77.8308	28.2233, 78.2144	60	51	1.38
5	SH65	PWD	39	28.407, 77.8498	28.6728, 78.0733	43	37	1.11
6	SH63	PWD	35	28.2458, 77.8635	28.0954, 78.1576	28	25	0.8

3- Prayagraj -

Rank	Road No.	Agency	Length (km)	Starting Point	Ending Point	Fatalities	Fatal Crashes	Fatalities per km
1	NH-35	PWD NH Division	32	25.2831, 81.7977	25.199, 81.5174	26	21	0.82
2	NH-30	NHAI	89	25.0478, 81.7336	25.6489, 81.6005	63	53	0.71

4- Agra -

Rank	Road No.	Agency	Length (km)	Starting Point	Ending Point	Fatalities	Fatal Crashes	Fatalities per km
1	NH-19	NHAI	17	27.203, 78.0398	27.2312, 78.2017	66	55	3.91
2	NH-509	NHAI	12	27.333, 78.0308	27.2305, 78.0489	33	28	2.84
3	NH-44	NHAI	55	27.2602, 77.815	26.908, 77.9305	91	81	1.64
4	NH-21	NHAI	88	27.4015, 78.21	27.1425, 77.6008	100	92	1.14
5	SH62	PWD	90	26.8522, 78.8239	27.1675, 78.0364	90	83	1

5- Unnao -

Rank	Road No.	Agency	Length (km)	Starting Point	Ending Point	Fatalities	Fatal Crashes	Fatalities per km
1	NH-27	NHAI	50	26.435, 80.4086	26.6501, 80.7945	131	117	2.63
2	SH38	PWD	58	26.5492, 80.4917	26.9601, 80.1859	80	63	1.38
3	SH40	PWD	68	26.8822, 80.1009	26.7959, 80.7283	74	66	1.09
4	NH-31	NHAI	51	26.2659, 80.8619	26.517, 80.4877	32	31	0.63

6- Hardoi -

Rank	Road No.	Agency	Length (km)	Starting Point	Ending Point	Fatalities	Fatal Crashes	Fatalities per km
1	SH38	PWD	26	26.9892, 80.1673,	27.1742, 80.0456	79	47	3.06
2	NH-330D	PWD NH Division	88	27.0132, 79.9891	27.3504, 80.4604	148	135	1.68
3	NH-30	NHAI	8	27.7397, 80.2664	27.7638, 80.1951	12	11	1.58
4	SH29A	PWD	46	27.5018, 79.7317	27.3965, 80.125	67	59	1.45
5	NH-731	NHAI	109	27.7128, 79.936	27.0107, 80.5607	135	128	1.23

7- Aligarh -

Rank	Road No.	Agency	Length (km)	Starting Point	Ending Point	Fatalities	Fatal Crashes	Fatalities per km
1	NH-34	NHAI	65	27.7298, 78.3368	28.0862, 77.9359	115	95	1.77
2	NH-509	NHAI	35	27.7654, 78.0873	28.0597, 78.1342	50	41	1.42
3	NH-334D	NHAI	58	27.8922, 78.0234	28.0864, 77.5002	72	58	1.24
4	SH80	PWD	37	27.8678, 78.0707	27.587, 77.8633	22	17	0.59

8- Mathura -

Rank	Road No.	Agency	Length (km)	Starting Point	Ending Point	Fatalities	Fatal Crashes	Fatalities per km
1	NH-44	NHAI	83	27.853, 77.4051	27.2602, 77.815	420	356	5.05
2	SH33	PWD	18	27.3317, 77.5646	27.4624, 77.6688	40	35	2.17
3	SH44	PWD	15	27.6951, 77.3414	27.7853, 77.4464	19	17	1.26

9- Lucknow -

Rank	Road No.	Agency	Length (km)	Starting Point	Ending Point	Fatalities	Fatal Crashes	Fatalities per km
1	NH-30	NHAI	35	26.8736, 81.0147	27.1255, 80.8761	43	36	1.24
2	NH-27	NHAI	49	26.6501, 80.7945	26.8989, 81.0979	56	50	1.15

10- Bareilly -

Rank	Road No.	Agency	Length (km)	Starting Point	Ending Point	Fatalities	Fatal Crashes	Fatalities per km
1	NH-530	NHAI	37	28.4323, 79.4804	28.5749, 79.1844	89	68	2.38
2	SH37	PWD	45	28.3677, 79.4002	28.757, 79.4956	77	67	1.72
3	NH-30	NHAI	73	28.0708, 79.639	28.5819, 79.6896	104	95	1.43
4	NH-21	NHAI	40	28.1793, 79.2735	28.4323, 79.4804	44	42	1.1
5	NH-730B	PWD NH Division	23	28.2745, 79.7381	28.354, 79.4963	23	22	0.98

11- Fatehpur -

Rank	Road No.	Agency	Length (km)	Starting Point	Ending Point	Fatalities	Fatal Crashes	Fatalities per km
1	NH-19	NHAI	91	26.1995, 80.5367	25.7164, 81.2268	138	125	1.52
2	SH46	PWD	29	26.1016, 80.3172	26.1247, 80.5876	33	19	1.16
3	NH-335	NHAI	17	25.9407, 80.8309	26.0559, 80.9094	14	12	0.81
4	NH-335	NHAI	40	25.9714, 80.7735	25.7108, 80.6057	29	20	0.73
5	SH71	PWD	26	25.6815, 80.7313	25.9041, 80.7941	14	12	0.54

12- Sitapur -

Rank	Road No.	Agency	Length (km)	Starting Point	Ending Point	Fatalities	Fatal Crashes	Fatalities per km
1	NH-30	NHAI	91	27.1255, 80.8761	27.7091, 80.3614	184	158	2.01
2	SH21	PWD	28	27.5619, 80.6887	27.8007, 80.7352	50	46	1.77
3	SH30B	PWD	58	27.5442, 80.7193	27.5661, 81.2839	54	49	0.93
4	NH-330D	PWD NH Division	33	27.3504, 80.4604	27.569, 80.6545	24	22	0.72
5	NH-727H	PWD NH Division	69	27.7946, 80.8323	27.2659, 81.1383	40	37	0.58

13- Gorakhpur -

Rank	Road No.	Agency	Length (km)	Starting Point	Ending Point	Fatalities	Fatal Crashes	Fatalities per km
1	NH-727BB	PWD NH Division	32	26.901, 83.4955	26.7075, 83.332	77	67	2.4
2	NH-727A	PWD NH Division	17	26.6976, 83.4764	26.6204, 83.626	41	40	2.37
3	NH-27	NHAI	51	26.7582, 83.1432	26.7381, 83.6109	118	103	2.3
4	NH-24	NHAI	54	26.28, 83.4775	26.7067, 83.3327	85	79	1.58
5	NH-24	NHAI	37	27.0301, 83.27	26.7469, 83.2513	31	30	0.85
6	NH-227A	PWD NH Division	64	26.3044, 83.6685	26.5057, 83.1959	38	32	0.59

14- Barabanki -

Rank	Road No.	Agency	Length (km)	Starting Point	Ending Point	Fatalities	Fatal Crashes	Fatalities per km
1	NH-927	NHAI	36	27.0948, 81.4804	26.9267, 81.2372	82	72	2.31
2	NH-731	NHAI	28	26.7114, 81.2157	26.5669, 81.4384	55	54	1.94
3	NH-27	NHAI	51	26.8989, 81.0979	26.7908, 81.5655	97	85	1.89
4	LRR	NHAI	18	27.0178, 81.0001	26.9103, 81.0745	19	13	1.09
5	NH-727H	PWD NH Division	49	27.2659, 81.1383	26.9042, 81.1242	47	33	0.96
6	SH13	PWD	58	26.9268, 81.1981	26.574, 81.2746	53	47	0.91

15- Kushinagar -

Rank	Road No.	Agency	Length (km)	Starting Point	Ending Point	Fatalities	Fatal Crashes	Fatalities per km
1	NH-27	NHAI	20	26.7381, 83.6109	26.7339, 83.8075	37	31	1.84
2	NH-27	NHAI	46	26.7419, 83.876	26.6011, 84.2706	55	46	1.19
3	NH-730	PWD NH Division	69	26.9522, 83.6575	26.6896, 84.1802	51	46	0.74

16- Gautambudhnagar -

Rank	Road No.	Agency	Length (km)	Starting Point	Ending Point	Fatalities	Fatal Crashes	Fatalities per km
1	NH-334C	NHAI	24	28.6272, 77.4736	28.49, 77.6401	46	41	1.95
2	NE2	NHAI	42	28.314, 77.4962	28.6353, 77.5393	26	19	0.62

17- Jaunpur -

Rank	Road No.	Agency	Length (km)	Starting Point	Ending Point	Fatalities	Fatal Crashes	Fatalities per km
1	NH-31	NHAI	83	25.5517, 82.796	25.6915, 82.167	86	77	1.03
2	NH-731	NHAI	56	25.9778, 82.3854	25.6764, 82.7252	55	52	0.99
3	NH-319D	NHAI	10	25.6594, 82.2249	25.6165, 82.1425	10	10	0.98
4	NH-128A	NHAI	15	25.7346, 82.6817	25.7808, 82.8218	14	10	0.91
5	NH-135A	PWD NH Division	83	26.0985, 82.6842	25.4175, 82.5708	62	58	0.75
6	NH-28	NHAI	16	25.6859, 82.9928	25.5485, 83.0037	11	10	0.71
7	SH7	PWD	31	26.0593, 82.6747	25.8932, 82.4522	18	17	0.59

18- Budaun -

Rank	Road No.	Agency	Length (km)	Starting Point	Ending Point	Fatalities	Fatal Crashes	Fatalities per km
1	SH18	PWD	45	28.0048, 78.998	28.1598, 78.6021	52	48	1.16
2	SH43	PWD	53	28.0597, 79.1263	28.4308, 78.8009	55	50	1.03
3	NH-21	NHAI	54	27.9209, 78.8519	28.1793, 79.2735	48	45	0.88
4	SH51	PWD	58	28.0267, 79.1055	28.3479, 78.6926	32	29	0.55

19- Firozabad -

Rank	Road No.	Agency	Length (km)	Starting Point	Ending Point	Fatalities	Fatal Crashes	Fatalities per km
1	NH-19	NHAI	73	27.2312, 78.2017	26.9723, 78.8077	188	169	2.59
2	SH85	PWD	32	27.3833, 78.6879	27.1136, 78.5891	39	38	1.21
3	SH31	PWD	21	27.2264, 78.2425	27.3665, 78.3817	22	21	1.06

20- Azamgarh -

Rank	Road No.	Agency	Length (km)	Starting Point	Ending Point	Fatalities	Fatal Crashes	Fatalities per km
1	NH-128C	NHAI	37	26.2425, 83.4561	26.0814, 83.1739	67	62	1.81
2	NH-128B	NHAI	16	26.0389, 83.319	26.048, 83.1677	25	24	1.59
3	SH34	PWD	43	25.9924, 83.0865	26.0649, 82.7037	56	50	1.29
4	NH-128A	NHAI	30	25.7808, 82.8218	25.9668, 83.0338	38	33	1.26
5	NH-28	NHAI	99	25.6859, 82.9928	26.3729, 82.8771	93	87	0.94
6	SH30A	PWD	29	26.1553, 83.3315	26.283, 83.1069	21	21	0.73
7	SH67	PWD	23	25.896, 83.3207	26.042, 83.1898	13	13	0.58

Annexure-3

Temporal (3 Hour) Distribution of Fatal Crashes & Fatalities

Kanpur Nagar -

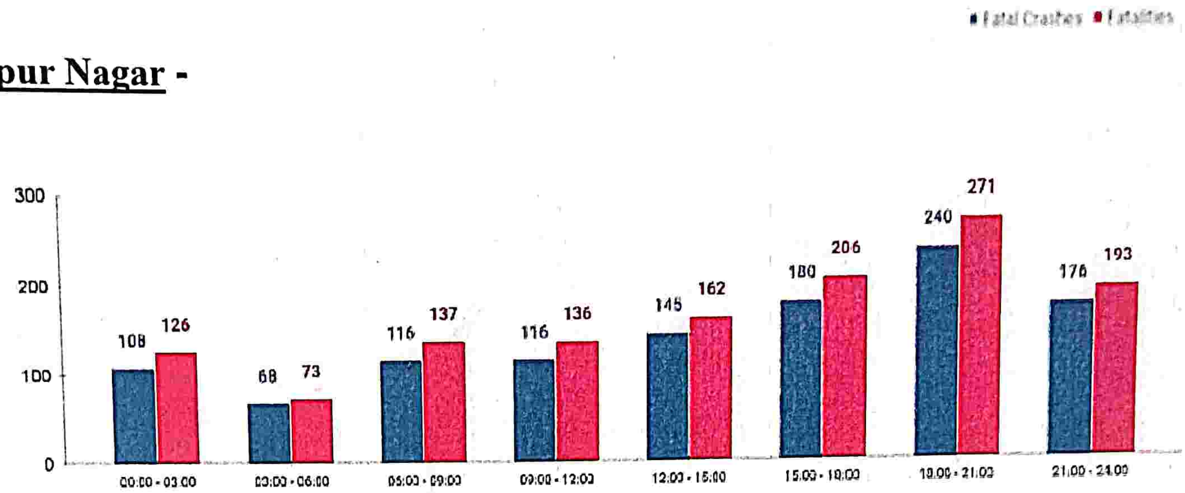

2- Bulandshahar -

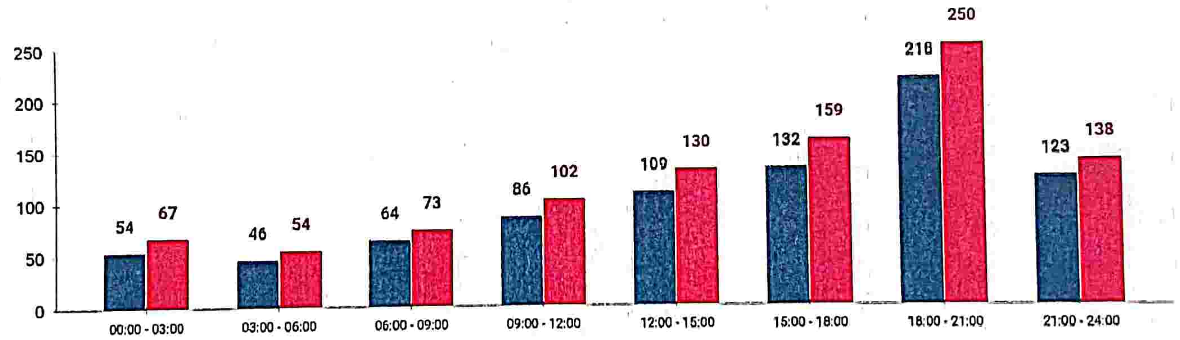

3- Prayagraj -

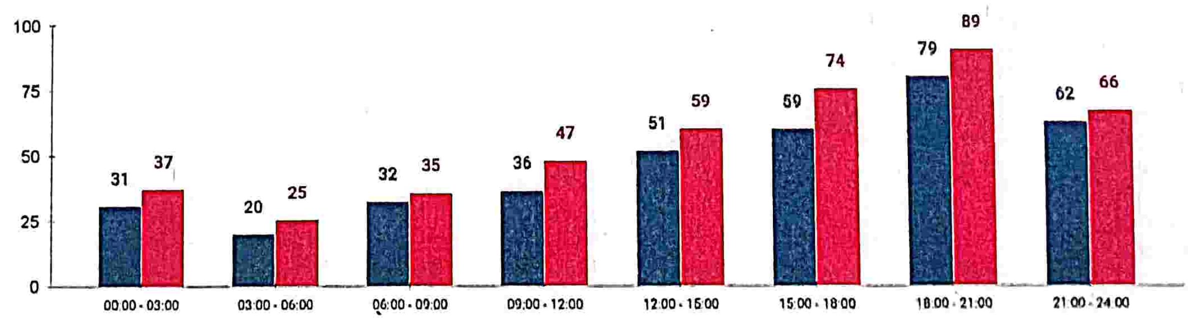

4- Agra -

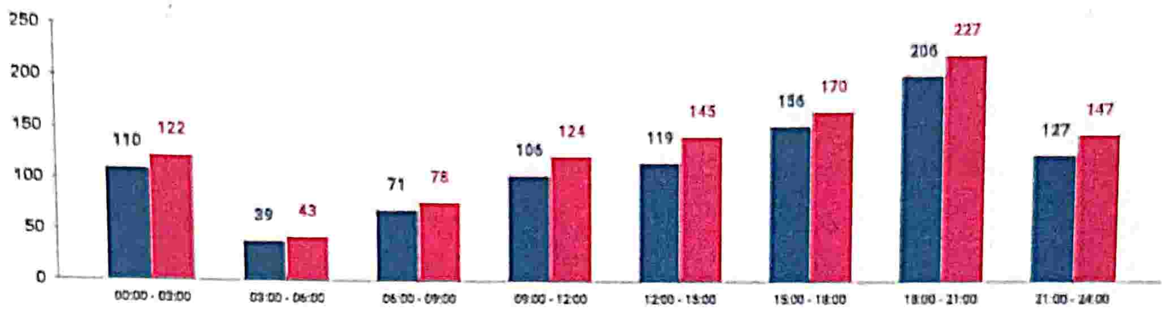

5- Unnao -

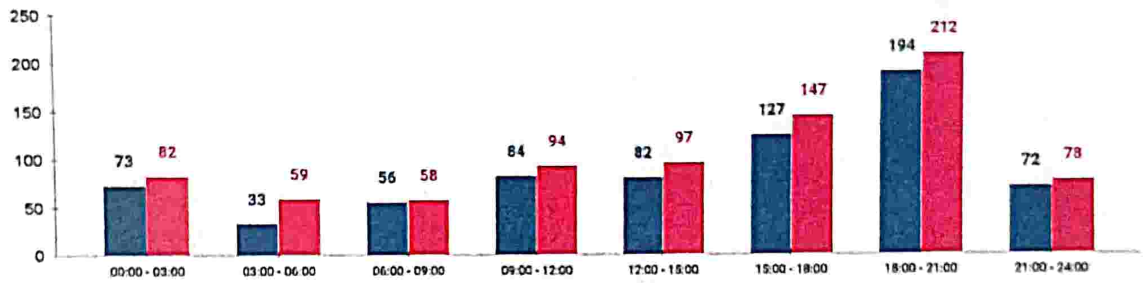

6- Hardoi -

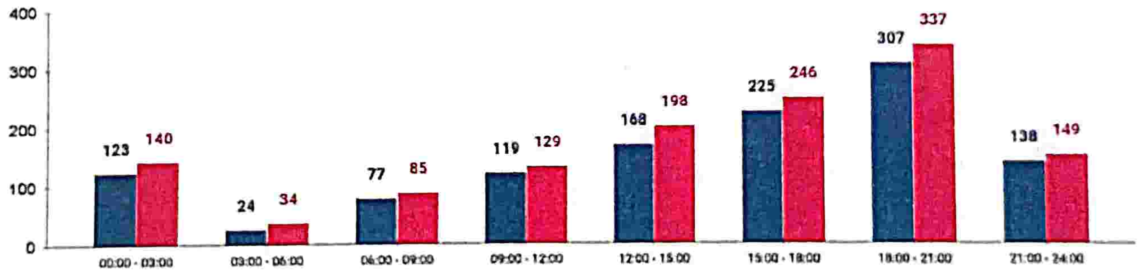

7- Aligarh -

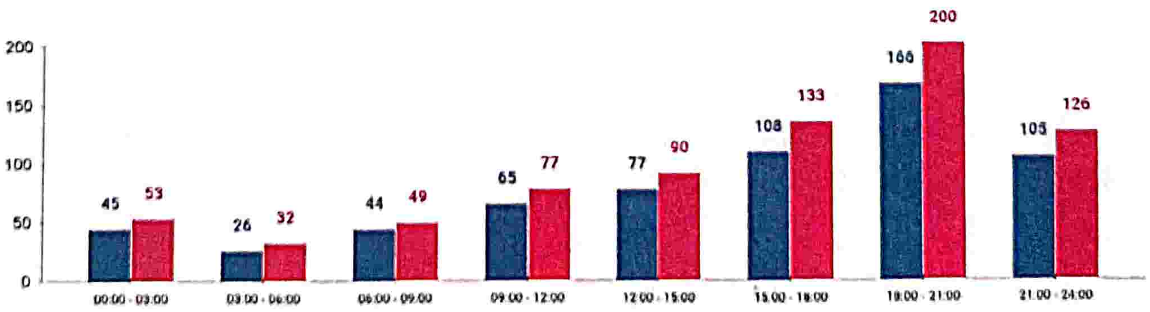

8- Mathura -

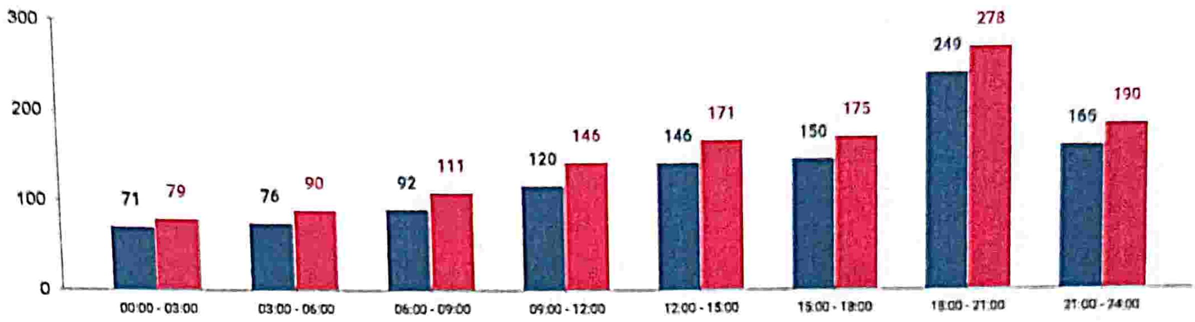

9- Lucknow -

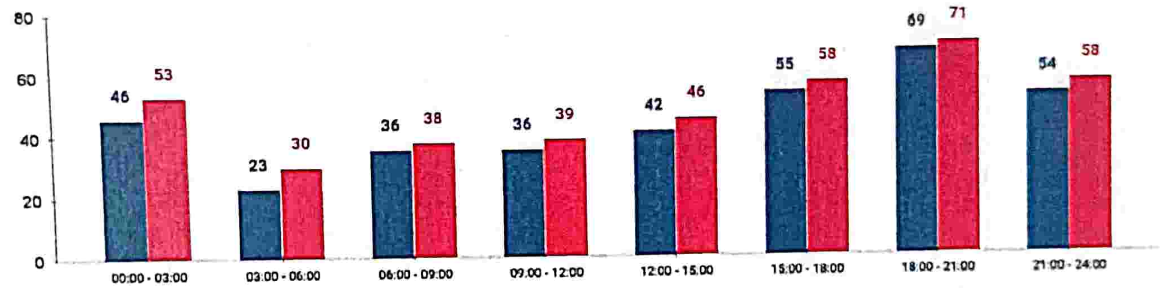

10- Bareilly -

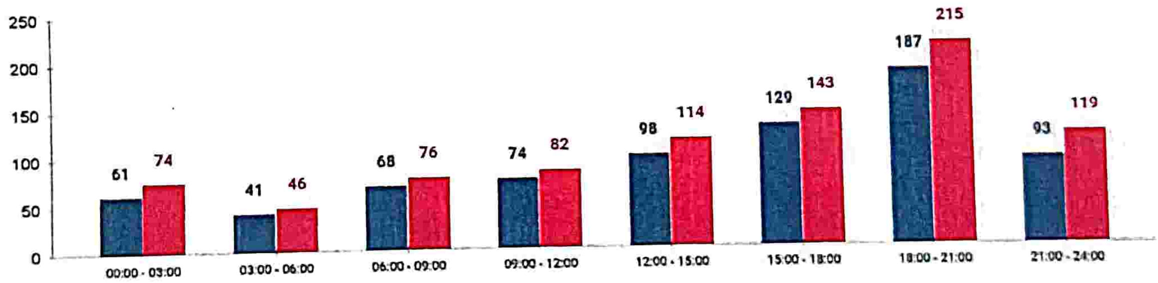

11- Fatehpur -

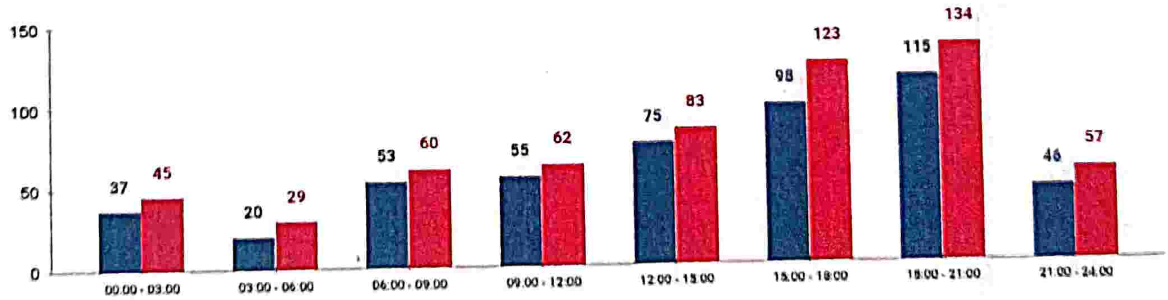

12- Sitapur -

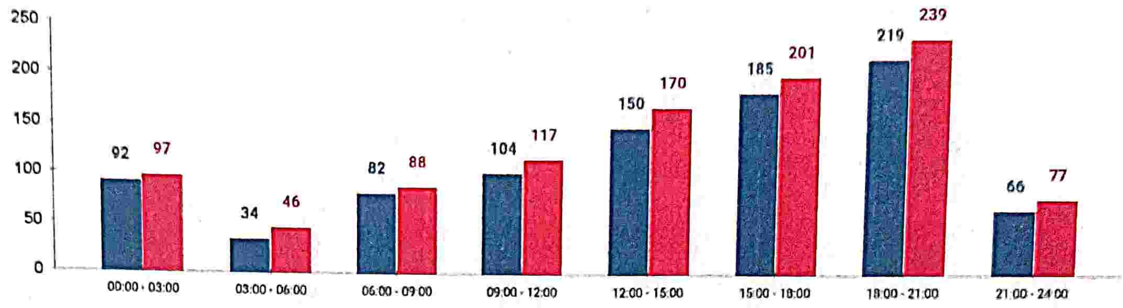

13- Gorakhpur -

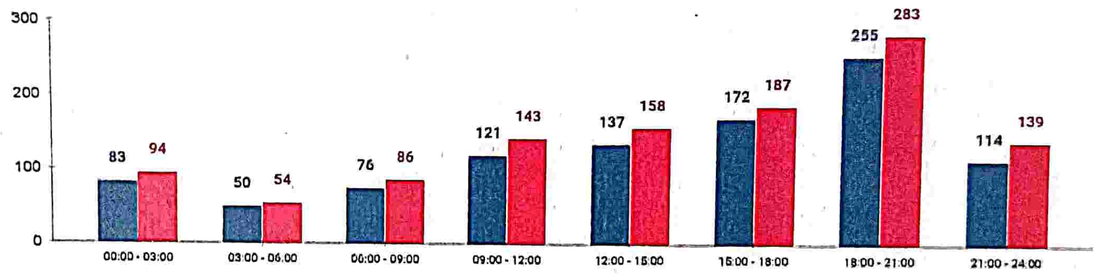

14- Barabanki -

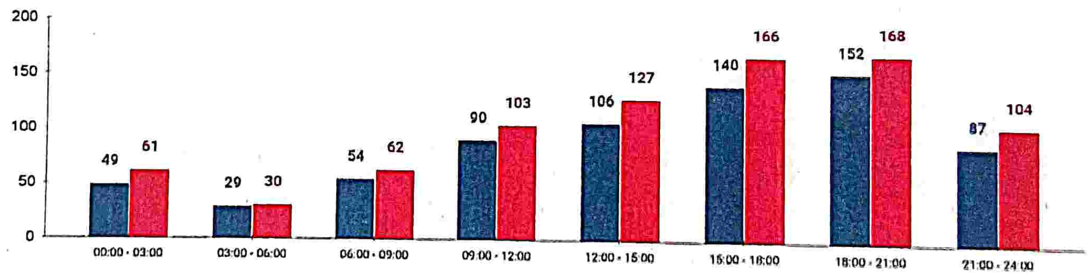

15- Kushinagar -

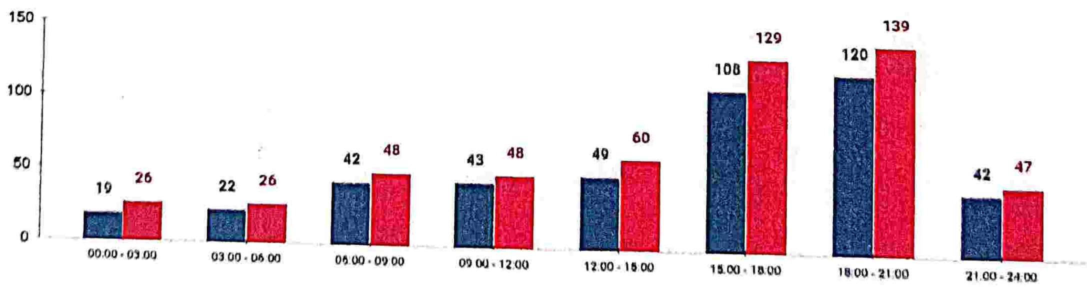

16- Gautambudhnagar -

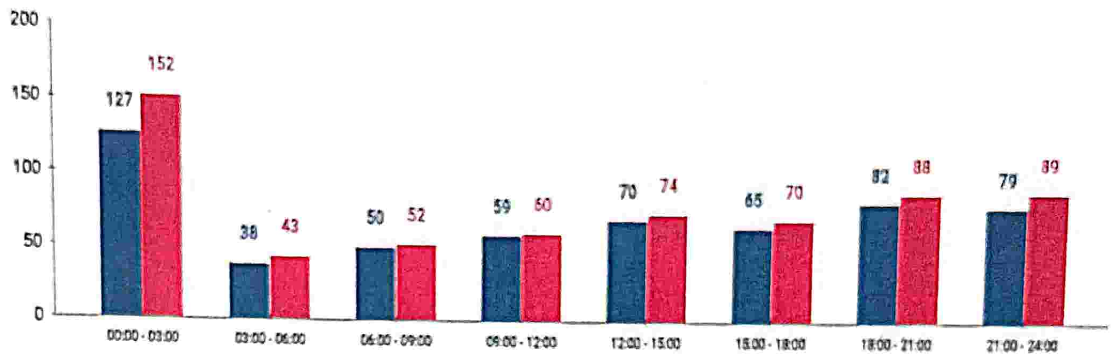

17- Jaunpur -

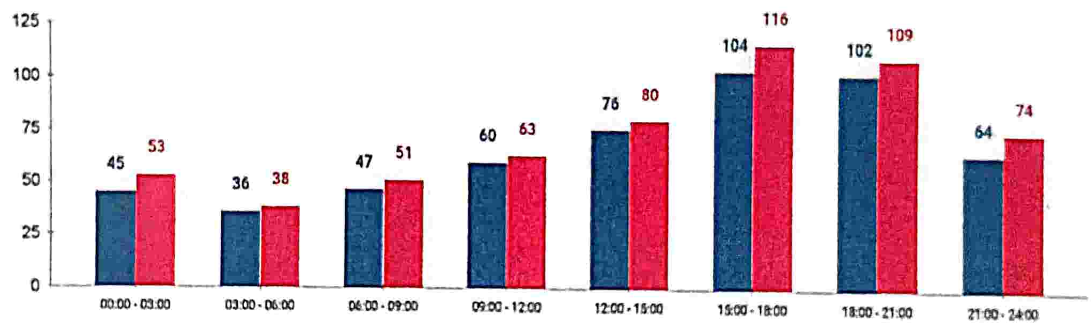

18- Budaun -

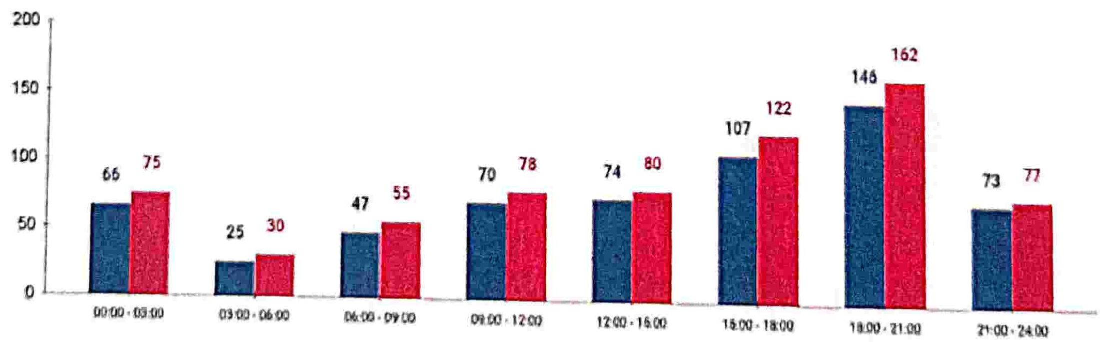

19- Firozabad -

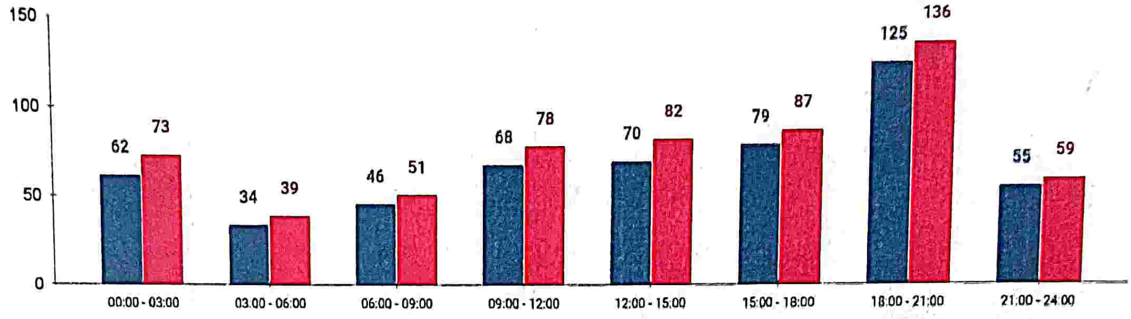

20- Azamgarh -

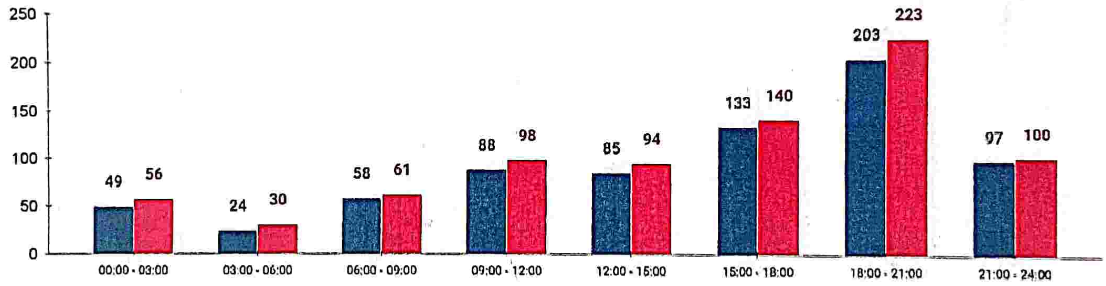

समीक्षा प्रारूप–1

प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा कृत कार्यवाही

जनपद–......................थाना –.................. माह–......................वर्ष –.....................

प्रारम्भ के तीन माह तक मासिक तत्पश्चात त्रैमासिक

SOP बिन्दु – 6.1.1 : सीसी टीम का गठन–

थाना का नाम	क्रिटिकल कारिडोर की संख्या	गठित सीसी टीम की संख्या	सीसी टीम प्रभारी/कर्मचारियों के नाम	
1	2	3	4	5
			टीम–1	
			टीम–2	
			टीम–3	
			......	

SOP बिन्दु – 6.1.2 : क्रिटिकल क्रैश लोकेशन का चिन्हीकरण –

थाना का नाम	सीसी टीम की संख्या	चिन्हित किये गये क्रिटिकल कैश लोकेशन का नाम (लैण्डमार्क सहित)
1	2	3
	टीम–1	
	टीम–2	
	टीम–3	
	......	

SOP बिन्दु– 6.1.6 : यातायात उपकरण –

थाना का नाम	सीसी टीम की संख्या	स्पीड लेजरगन		ब्रेथ एनालाइजर		डेसीबल मीटर		बॉडीवार्न कैमरा		रिफ्लेक्टिव जैकेट	
		उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	टीम–1										
	टीम–2										
	टीम–3										
	......										

SOP बिन्दु– 6.1.7 : क्रिटिकल कारिडोर पर पार्किंग व्यवस्था –

थाना का नाम	क्रिटिकल कारिडोर टीम की संख्या	क्रिटिकल कारिडोर पर पडने वाले होटल/ढाबों/रेस्टोरेन्ट की संख्या	कितने होटल/ढाबों में पार्किंग की व्यवस्था नही है	पार्किंग हेतु चिन्हित किये गये स्थलों की संख्या
1	2	3	4	5
	टीम–1			
	टीम–2			
	टीम–3			
	......			

SOP बिन्दु– 6.1.9 /6.1.10 : इंजीनियरिंग कार्यो की प्रगति –

थाना का नाम	सीसी टीम की संख्या	कट, कर्व, मोड़, जंक्शन आदि स्थानों पर लगवाये गये साइनेजेज बोर्ड		अवैध/ अनाधिकृत कटों के विरूद्व कार्यवाही	
		चिन्हित स्थान की संख्या	लगवाये गये बोर्डो की संख्या	चिन्हित अवैध/ अनाधिकृत कट की संख्या	बन्द कराये गये अवैध/ अनाधिकृत कट की संख्या
1	2	3	4	5	6
	टीम–1				
	टीम–2				
	टीम–3				
	......				

क्रिटिकल कारिडोर टीम (सीसी टीम) द्वारा कृत कार्यवाही (मासिक)

जनपद–..............................थाना –............................ माह–..............................वर्ष –............................

SOP बिन्दु –6.2.1: प्रवर्तन कार्यवाही–

थाने का नाम	सीसी टीम की संख्या	ओवर स्पीडिंग		ड्रंकन ड्राइविंग		रांग साइड ड्राइविंग		सीट बेल्ट		हेलमेट		दो पहिया वाहन पर तीन सवारी		मालवाहक वाहन पर सवारी बैठाना		क्षमता से अधिक सवारी बैठाना		नो पार्किंग/ अवैध पार्किंग		वाहन चलाते समय संचार उपकरणों का प्रयोग		डीएल निलम्बन/ निरस्तीकरण हेतु प्रेषित रिपोर्ट की संख्या		आरसी निलम्बन/ निरस्तीकरण हेतु प्रेषित रिपोर्ट की संख्या	
		चालान	शमन	चालान	शमन	चालान	शमन	चालान	शमन	चालान	शमन	चालान	शमन	चालान	शमन	चालान	शमन	चालान	शमन	चालान	शमन	निलम्बन	निरस्तीकरण	निलम्बन	निरस्तीकरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

SOP बिन्दु –6.2.2–A : क्रिटिकल कारिडोर पर घटित सडक दुर्घटनाओं का विवरण (दिनांक 01.11.2025 से)–

थाने का नाम	सीसी टीम की संख्या	क्रिटिकल कारिडोर पर घटित सड़क दुर्घटनाओं की संख्या		मृतकों की संख्या		घायलों की संख्या		iRAD में फीड की गयी दुर्घटनाओं की संख्या		eDAR के प्रारूपों में फीड की गयी दुर्घटनाओं की संख्या		अज्ञात में पंजीकृत दुर्घटनाओं की संख्या		प्रकाश में आये आरोपियों से सम्बन्धित दुर्घटनाओं की संख्या	
		मासिक	प्रगतिशील	मासिक	प्रगतिशील	मासिक	प्रगतिशील	मासिक	प्रगतिशील	मासिक	प्रगतिशील	मासिक	प्रगतिशील	मासिक	प्रगतिशील
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

SOP बिन्दु –6.2.2– B : सडक दुर्घटनाओं की विवेचनात्मक कार्यवाही –

थाने का नाम	सीसी टीम की संख्या	क्रिटिकल कारिडोर पर घटित सड़क दुर्घटनाओं से सम्बन्धित विवेचनाओं की संख्या		निस्तारित विवेचनाओं का विवरण (प्रगतिशील)		कुल निस्तारित विवेचनाओं की संख्या (प्रगतिशील)	लम्बित विवेचनाओं की संख्या (प्रगतिशील)	आरोपी चालकों के डीएल निरस्तीकरण हेतु प्रेषित रिपोर्ट की संख्या (प्रगतिशील)	आरोपी वाहनों पर पूर्व में हुए चालानों का विवरण		
		मासिक	प्रगतिशील	आरोप पत्र	अन्तिम रिपोर्ट				कुल चालान	निस्तारित चालान	शेष चालान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

SOP बिन्दु –4 : दुर्घटना के कारको की समीक्षा –

थाने का नाम	सीसी टीम की संख्या	ओवरस्पीड़िग		ड्रंकन ड्राइविंग		रॉग साइड ड्राईविंग		रैश ड्राइविंग		अनुचित ओवरटेकिंग		चालक को नींद आना		अवयस्क द्वारा वाहन चलाना	
		मासिक	प्रगतिशील	मासिक	प्रगतिशील	मासिक	प्रगतिशील	मासिक	प्रगतिशील	मासिक	प्रगतिशील	मासिक	प्रगतिशील	मासिक	प्रगतिशील
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

मार्ग/ डिवाइडर पर अनाधिकृत कट		पैदल यात्रियों द्वारा लापरवाही पूर्वक सड़क पार करना		क्षमता से अधिक सवारी बैठाना		गलत पार्किंग		प्रकाश की समुचित व्यवस्था न होना		संकेतों/ रोड मार्किंग की कमी		आबादी क्षेत्र में सर्विस रोड का न होना		टी प्वाइन्ट पर स्पीड ब्रेकर/ रम्बल स्ट्रिप का न होना		अन्य कारण	
मासिक	प्रगतिशील	मासिक	प्रगतिशील	मासिक	प्रगतिशील	मासिक	प्रगतिशील	मासिक	प्रगतिशील	मासिक	प्रगतिशील	मासिक	प्रगतिशील	मासिक	प्रगतिशील	मासिक	प्रगतिशील
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

SOP बिन्दु –6.2.1 : पार्किंग/अतिक्रमण –(प्रगतिशील)

थाने का नाम	सीसी टीम की संख्या	अवैध पार्किंग से हटवाये गये वाहनों की संख्या	नो–पार्किंग/चेतावनी/आदेशात्मक/सड़क सुरक्षा सम्बन्धी जागरूकता हेतु लगवाये गये बोर्डो की संख्या	कितने स्थानों पर अतिक्रमण हटवाया गया
1	2	3	4	5

समीक्षा प्रारूप–3

सहायक पुलिस आयुक्त/क्षेत्राधिकारी (सर्किल का नाम ....)

जनपद–.............................. माह–..............................वर्ष –..........................

3 महीने मासिक तदोपरान्त त्रैमासिक

SOP बिन्दु – 6.3.2– प्रशिक्षण –

थाने का नाम	सीसी टीम के सदस्यो की कुल संख्या	उपकरणों के सम्बन्ध में प्रशिक्षित किये गये कर्मियों की संख्या	फर्स्ट–एड के सम्बन्ध में प्रशिक्षित किये गये कर्मियों की संख्या	विवेचनाओं के सम्बन्ध में प्रशिक्षित किये गये कर्मियों की संख्या
1	2	3	4	5

SOP बिन्दु – 6.3.3 – A: क्रिटिकल कारिडोर पर घटित सडक दुर्घटनाओं की समीक्षा (दिनांक: 01.11.2025 से) –

थाने का नाम	सीसी टीम की संख्या	क्रिटिकल कारिडोर पर घटित सड़क दुर्घटनाओं की संख्या				मृतकों की संख्या				घायलों की संख्या			
		दुर्घटनाएं		कमी/वृद्धि का प्रतिशत		मृतक		कमी/वृद्धि का प्रतिशत		घायल		कमी/वृद्धि का प्रतिशत	
		इस वर्ष	गत वर्ष	इस वर्ष	गत वर्ष	इस वर्ष	गत वर्ष	इस वर्ष	गत वर्ष	इस वर्ष	गत वर्ष	इस वर्ष	गत वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

SOP बिन्दु – 6.3.3– B– विवेचनात्मक समीक्षा –

थाने का नाम	सीसी टीम की संख्या	क्रिटिकल कारिडोर पर घटित सड़क दुर्घटनओं से सम्बन्धित विवेचनाओं की संख्या		निस्तारित विवेचनाओं का विवरण		कुल निस्तारित विवेचनाओं की संख्या	लम्बित विवेचनाओं की संख्या	आरोपी चालकों के डीएल निरस्तीकरण हेतु प्रेषित रिपोर्ट की संख्या	आरोपी वाहनों पर पूर्व में हुए चालानों का विवरण		
		पक्ष	प्रगतिशील	आरोप पत्र	अन्तिम रिपोर्ट				कुल चालान	निस्तारित चालान	शेष चालान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

SOP बिन्दु – 6.3.7 से 6.3.9 मैपिंग –

थाने का नाम	सीसी टीम की संख्या	ढाबों/होटलों के मालिकों/संचालकों के साथ आयोजित की बैठकों की संख्या	मैप पर दर्शाएं गये ब्लैक स्पॉट की संख्या	मैप पर दर्शाएं गये चिन्हित लिंक मार्गो की संख्या	मैप पर दर्शाएं गये सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों की संख्या	मैप पर दर्शाएं गये क्रेन ऑपरेटिंग कम्पनी/सेवा प्रदाता की संख्या	मैप पर दर्शाएं गये108 एम्बुलेंस एवं प्राइवेट एम्बुलेंस की संख्या	मैप पर दर्शाएं गये शिक्षण संस्थान/गेस्ट हाउस/बारात घर/प्रमुख ढाबों/होटलों/पार्किंग स्थलों की संख्या			
								शिक्षण संस्थान	गेस्ट हाउस/बारात घर	प्रमुख ढाबों/होटलों	पार्किंग स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

SOP बिन्दु – 6.3.15 प्रवर्तन कार्यवाही–

थाने का नाम	सीसी टीम की संख्या	ओवर स्पीडिंग		ड्रंकन ड्राइविंग		रांग साइड ड्राइविंग		सीट बेल्ट		हेलमेट		दो पहिया वाहन पर तीन सवारी		मालवाहक वाहन पर सवारी बैठाना		क्षमता से अधिक सवारी बैठाना		नो पार्किंग/अवैध पार्किंग		वाहन चलाते समय संचार उपकरणों का प्रयोग		डीएल निलम्बन/निरस्तीकरण हेतु प्रेषित रिपोर्ट की संख्या		आरसी निलम्बन/निरस्तीकरण हेतु प्रेषित रिपोर्ट की संख्या	
		चालान	शमन	चालान	शमन	चालान	शमन	चालान	शमन	चालान	शमन	चालान	शमन	चालान	शमन	चालान	शमन	चालान	शमन	चालान	शमन	निलम्बन	निरस्तीकरण	निलम्बन	निरस्तीकरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

अपर पुलिस उपायुक्त/अपर पुलिस अधीक्षक, यातायात द्वारा मासिक समीक्षा (सम्पूर्ण कमिश्नरेट/जनपद)

जनपद–............................माह–............................वर्ष –..........................

SOP बिन्दु – 6.4.1– A : समीक्षा –

कमिश्नरेट/ जनपद	सर्किल का नाम	थाने का नाम	सडक सुरक्षा हेतु उत्तरदायी विभागों/एजेन्सियों यथा NHAI, PWD, नगर विकास, नगर निगम, नगर पालिका, के अधिकारियों के साथ बैठकों की संख्या	क्रिटिकल कारिडोर पर सम्बन्धित सड़क निर्माण विभागों के सहयोग से निर्माण कराये गये ट्रक/बस ले–बाई (Lay Bye) कि संख्या
1	2	3	4	5

SOP बिन्दु – 6.4.1– B : रोड इंजीनियरिंग संशोधन (Modification) सम्बन्धी सुझाव –

कमिश्नरेट/ जनपद	सर्किल का नाम	थाने का नाम	प्रस्तावित सुझावों की संख्या	कराये गये सुधारों की संख्या
1	2	3	4	5

नोट–प्रस्तावित सुझावों का विस्तृत विवरण बिन्दुवार क्रमशः 1, 2 , 3, ... उपलब्ध करायेगें।

SOP बिन्दु – 6.4.2 –दुर्घटना के कारको की समीक्षा (सम्पूर्ण जनपद) –

कमिश्नरेट/ जनपद	ओवरस्पीड़िग		ड्रंकन ड्राइविंग		रॉग साइड ड्राईविंग		रैश ड्राइविंग		अनुचित ओवरटेकिंग		चालक को नींद आना		अवयस्क द्वारा वाहन चलाना	
	मासिक	प्रगतिशील	मासिक	प्रगतिशील	मासिक	प्रगतिशील	मासिक	प्रगतिशील	मासिक	प्रगतिशील	मासिक	प्रगतिशील	मासिक	प्रगतिशील
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

मार्ग/ डिवाइडर पर अनाधिकृत कट		पैदल यात्रियों द्वारा लापरवाही पूर्वक सड़क पार करना		क्षमता से अधिक सवारी बैठाना		गलत पार्किंग		प्रकाश की समुचित व्यवस्था न होना		संकेतों/ रोड मार्किंग की कमी		आबादी क्षेत्र में सर्विस रोड का न होना		टी प्वाइन्ट पर स्पीड ब्रेकर/ रम्बल स्ट्रिप का न होना		कुल दुर्घटनाओं की संख्या	
मासिक	प्रगतिशील	मासिक	प्रगतिशील	मासिक	प्रगतिशील	मासिक	प्रगतिशील	मासिक	प्रगतिशील	मासिक	प्रगतिशील	मासिक	प्रगतिशील	मासिक	प्रगतिशील	मासिक	प्रगतिशील
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

SOP बिन्दु – 6.4.3–A : क्रिटिकल कारिडोर पर घटित सडक दुर्घटनाओं की समीक्षा (क्रिटिकल कारिडोर वाइज)–

कमिश्नरेट / जनपद	क्रिटिकल कारिडोर पर घटित सड़क दुर्घटनाओं की संख्या				मृतकों की संख्या				घायलों की संख्या			
	दुर्घटनाएं		कमी/वृद्वि का प्रतिशत		मृतक		कमी/वृद्वि का प्रतिशत		घायल		कमी/वृद्वि का प्रतिशत	
	इस वर्ष	गत वर्ष	इस वर्ष	गत वर्ष	इस वर्ष	गत वर्ष	इस वर्ष	गत वर्ष	इस वर्ष	गत वर्ष	इस वर्ष	गत वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

SOP बिन्दु – 6.4.3– B– विवेचनात्मक समीक्षा –

कमिश्नरेट / जनपद	क्रिटिकल कारिडोर पर घटित सड़क दुर्घटनाओं से सम्बन्धित विवेचनाओं की संख्या		निस्तारित विवेचनाओं का विवरण		कुल निस्तारित विवेचनाओं की संख्या	लम्बित विवेचनाओं की संख्या	आरोपी चालकों के डीएल निरस्तीकरण हेतु प्रेषित रिपोर्ट की संख्या	आरोपी वाहनों पर पूर्व में हुए चालानों का विवरण		
	पक्ष	प्रगतिशील	आरोप पत्र	अन्तिम रिपोर्ट				कुल चालान	निस्तारित चालान	शेष चालान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

SOP बिन्दु – 6.4.4 प्रवर्तन कार्यवाही–

कमिश्नरेट / जनपद	ओवर स्पीडिंग		ड्रंकन ड्राइविंग		रांग साइड ड्राइविंग		सीट बेल्ट		हेलमेट		दो पहिया वाहन पर तीन सवारी		मालवाहक वाहन पर सवारी बैठाना		क्षमता से अधिक सवारी बैठाना		नो पार्किंग/ अवैध पार्किंग		वाहन चलाते समय संचार उपकरणों का प्रयोग		डीएल निलम्बन/ निरस्तीकरण हेतु प्रेषित रिपोर्ट की संख्या		आरसी निलम्बन/ निरस्तीकरण हेतु प्रेषित रिपोर्ट की संख्या	
	चालान	शमन	चालान	शमन	चालान	शमन	चालान	शमन	चालान	शमन	चालान	शमन	चालान	शमन	चालान	शमन	चालान	शमन	चालान	शमन	निलम्बन	निरस्तीकरण	निलम्बन	निरस्तीकरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

SOP बिन्दु – 6.4.5 – 108 एम्बुलेंस की उपलब्धता –

कमिश्नरेट/ जनपद	सर्किल का नाम	थाने का नाम	कुल दुर्घटनाओं की संख्या	108 एम्बुलेंस द्वारा कितनी सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों को अस्पताल पहुँचाया गया	प्राइवेट एम्बुलेंस द्वारा कितनी सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों को अस्पताल पहुँचाया गया
1	2	3	4	5	6

नोट–108 एम्बुलेंस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कम से कम 65 प्रतिशत पीड़ितो को अस्पताल पहुँचायें जाने का लक्ष्य है।

पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा समीक्षा

जनपद–.............................माह–.............................वर्ष –..........................

प्रारम्भ के तीन माह तक मासिक तत्पश्चात त्रैमासिक

SOP बिन्दु – 6.5 –

कमिश्नरेट / जनपद	जिला सड़क सुरक्षा समिति की आयोजित बैठकों की संख्या	सड़क दुर्घटनाओं की संख्या			सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि के सम्बन्ध में अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही			चिन्हित किटिकल कारिडोर पर 03 माह में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि होने की स्थिति में थाना प्रभारी के विरूद्ध की गयी कार्यवाही			सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि के सम्बन्ध में राजपत्रित अधिकारियों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही		
		वर्तमान माह	विगत माह	विगत वर्ष का वर्तमान माह	लाइन हाजिर	निलम्बन	अन्य कार्यवाही	लाइन हाजिर	निलम्बन	अन्य कार्यवाही	सचेत	स्पष्टीकरण	अन्य कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	12

नोट– जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों एवं कृत कार्यवाही का बिन्दुवार विवरण उपलब्ध करायेंगें।

सड़क सुरक्षा – जीवन रक्षा

गुड सेमेरिटन (नेक आदमी)

सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने में घबरायें नहीं

मदद करने वाले व्यक्ति को पुलिस या अस्पताल द्वारा परेशान नहीं किया जायेगा

मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 134ए के प्रावधानों के अनुसार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या जीएसआर 594ई सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता करने वाले व्यक्ति के बचाव एवं पुलिस द्वारा परेशान न किये जाने हेतु निर्देश :–

1. गुड सेमेरिटन (नेक आदमी) जो घायल व्यक्ति को नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल ले जायेंगे, उन्हें अस्पताल द्वारा अपना नाम, पता और फोन नम्बर आदि बताने के लिऐ बाध्य नहीं किया जायेगा।
2. गुड सेमेरिटन स्वेच्छा से अपना नाम, पता और फोन नम्बर आदि सम्बन्धित के डाक्टर को बता सकते है।
3. घायल व्यक्ति का सम्बंधित अस्पताल में डयूटी पर उपस्थित डाक्टर द्वारा तत्काल इलाज शुरू किया जायेगा।
4. गुड सेमेरिटन से घायल व्यक्ति की चिकित्सा के लिऐ पैसे की मॉग नहीं की जायेगी, जब तक घायल व्यक्ति उसका सगा सम्बन्धी न हो।
5. गुड सेमेरिटन की मॉग पर सम्बंधित अस्पताल द्वारा घायल व्यक्ति को अस्पताल तक ले जाने का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रदान किया जायेगा।
6. गुड सेमेरिटन को दुर्घटना के सम्बन्ध में दायर की गयी एफ0आई0आर0 सम्बंधित जांच आदि में पुलिस द्वारा गवाह बनने पर बाध्य नहीं किया जायेगा
7. पुलिस द्वारा गुड सेमेरिटन से केवल एक ही बार पूछताछ की जायेगी और थाने में बुलाकर पूछताछ करने की बाध्यता नही होगी। यदि गुड सेमेरिटन थाने के अतिरिक्त अन्य जगह पर पूछताछ चाहता है तो उसके द्वारा बताये गये स्थान/समय पर पूछताछ की जायेगी।
8. मोटर वाहन से जुड़ी घातक दुर्घटना के पीड़ित को तत्काल सहायता प्रदान करके दुर्घटना के स्वर्णिम समय के भीतर अस्पताल/ट्रॉमा केयर सेंटर में पहुंचाकर उसकी जान बचाने वाले गुड सेमेरिटन को रू0 25,000/– से पुरस्कृत किया जायेगा।

अपीलः सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की स्वेच्छा से निर्भीक होकर मदद करें और गम्भीर रूप से घायल व्यक्ति की जान बचाने में सहयोग कर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें।

यातायात पुलिस, जनपद ....

जनपदीय पुलिस प्रभारी मो0नं0 945440....	पुलिस उपायुक्त/ अपर पुलिस अधीक्षक, यातायात मो0नं0 945440....	सहायक पुलिस आयुक्त/ क्षेत्राधिकारी, यातायात मो0नं0 945440....	थाना प्रभारी मो0नं0 945440....